



भारतीय रिज़र्व बैंक

**RESERVE BANK OF INDIA**

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

आरबीआई/डीओआर/2025-26/347

डीओआर.सीआई.आईसी. सं.266/07-01-008/2025- 26

28 नवंबर, 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 (15 जुलाई 2026 तक अद्यतन किया गया)**

### विषय-सूची

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| प्रस्तावना.....                                               | 4  |
| अध्याय I – प्रारंभिक .....                                    | 5  |
| ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ .....                          | 5  |
| बी. प्रयोज्यता .....                                          | 5  |
| सी. परिभाषाएँ.....                                            | 6  |
| अध्याय II – बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ.....                | 13 |
| ए. बोर्ड की भूमिका.....                                       | 13 |
| अध्याय III – डिजिटल उधार .....                                | 14 |
| ए. एनबीएफसी-एलएसपी व्यवस्थाओं के लिए सामान्य आवश्यकताएँ ..... | 14 |
| बी. आचरण एवं ग्राहक संरक्षण संबंधी आवश्यकताएँ .....           | 15 |
| सी. प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएं .....              | 19 |
| डी. ऋण सूचना और डीएलए की रिपोर्टिंग .....                     | 21 |
| ई. चूक की स्थिति में नुकसान साझा करने की व्यवस्था .....       | 22 |
| एफ. सामान्य प्रावधान.....                                     | 27 |
| अध्याय IV – सोने और चांदी के संपार्श्विक पर उधार.....         | 29 |
| ए. सामान्य प्रावधान.....                                      | 29 |
| बी. प्रतिबंध और सीमाएं .....                                  | 30 |
| सी. सोने और चांदी की संपार्श्विक का मूल्यांकन और परख .....    | 31 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| डी. ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी).....                                           | 31 |
| ई. अन्य प्रावधान.....                                                       | 32 |
| अध्याय V – सूक्ष्म-वित्त ऋण.....                                            | 34 |
| ए. पारिवारिक आय का मूल्यांकन.....                                           | 34 |
| बी. परिवार के ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर सीमा .....                        | 36 |
| सी. पुनर्भुगतान की आवधिकता में छूट .....                                    | 37 |
| डी. सूक्ष्म-वित्त ऋण का मूल्य-निर्धारण.....                                 | 37 |
| ई. सूक्ष्म-वित्त ऋण से संबंधित अन्य पहलू.....                               | 37 |
| अध्याय VI - परियोजना वित्त .....                                            | 38 |
| ए. प्रस्तावना .....                                                         | 38 |
| बी. सामान्य दिशानिर्देश.....                                                | 38 |
| सी. संवितरण और निगरानी से संबंधित विवेकपूर्ण शर्तें.....                    | 40 |
| डी. विविध .....                                                             | 41 |
| ई. प्रकटीकरण .....                                                          | 43 |
| अध्याय VII - आंशिक ऋण वृद्धि .....                                          | 44 |
| ए. पीसीई सुविधा की प्रमुख विशेषताएँ.....                                    | 44 |
| बी. एनबीएफसी के बॉण्ड को पीसीई प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शर्तें.....      | 46 |
| सी. पीसीई के अन्य पहलू.....                                                 | 46 |
| अध्याय VIII – अन्य विनियामक प्रतिबंध.....                                   | 48 |
| ए. आईपीओ वित्तपोषण पर उच्चतम सीमा.....                                      | 48 |
| बी. एनबीएफसी के अपने ही शेयरों के बदले ऋण .....                             | 48 |
| सी. शेयरों की प्रतिभूति के बदले ऋण .....                                    | 48 |
| डी. मांग / शीघ्रावधि मांग ऋण .....                                          | 48 |
| ई. आवास परियोजनाओं के लिए वित्त .....                                       | 49 |
| अध्याय IX – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले अन्य विनियम..... | 50 |
| ए. भू-संपदा क्षेत्र को ऋण और अग्रिम.....                                    | 50 |
| बी. वाणिज्यिक भू-संपदा.....                                                 | 50 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| अध्याय X – निरसन और अन्य प्रावधान.....          | 51 |
| ए. निरसन और व्यावृत्ति.....                     | 51 |
| बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं ..... | 51 |
| सी. व्याख्याएँ.....                             | 51 |
| अनुबंध I.....                                   | 53 |
| अनुबंध II .....                                 | 54 |
| अनुबंध III .....                                | 55 |

## प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक को सांविधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वह देश की ऋण प्रणाली का संचालन इस तरह से करे जिससे देश को लाभ हो। इस अधिकार का पालन करते हुए, रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणालियों, ऋण उत्पादों और वितरण तंत्रों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता है, साथ ही व्यवस्थित विकास, वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं व उधारकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऋण के क्षेत्र में क्रमिक अविनियमन के कारण, विवेकपूर्ण मानदंड मुख्य रूप से नियामक सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करते हैं। समय-समय पर जारी किए गए ये मानदंड, विनियमित संस्थाओं को ऋण-संबंधी उत्पादों और सेवाओं के डिज़ाइन तथा वितरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन निदेशों में विभिन्न विनियमित संस्थाओं को ऋण सुविधाओं पर जारी किए गए अनुदेशों को समेकित किया गया है।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेए, 45एल एवं 45एम, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए एवं 32 तथा फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा नीचे विनिर्दिष्ट इन निदेशों को जारी करता है।

## अध्याय I – प्रारंभिक

### ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश इसके जारी होने के तुरंत बाद लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया जाए।

### बी. प्रयोज्यता

3.

(1) ये निदेश सभी स्तरों के लिए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एनबीएफसीएस' और वैयक्तिक रूप से 'एनबीएफसी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो:

- (i) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी
- (ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी
- (iii) फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-फेक्टर
- (iv) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई
- (v) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईएफसी
- (vi) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत आईडीएफ-एनबीएफसी
- (vii) एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत एचएफसी

(2) ये निदेश नीचे दिए गए अनुसार निम्नलिखित एनबीएफसी पर आंशिक रूप से लागू होंगे:

- (i) इन निदेशों में निर्धारित विवेकपूर्ण विनियम 'ग्राहक इंटरफ़ेस वाले लेकिन सार्वजनिक निधि का लाभ नहीं उठाने वाले एनबीएफसीएस-बीएल' के लिए लागू नहीं होंगे; हालाँकि, इन निदेशों में

निर्धारित आचरण-संबंधी विनियम 'ग्राहक इंटरफ़ेस वाले लेकिन सार्वजनिक निधि का लाभ नहीं उठाने वाले एनबीएफसीएस-बीएल' के लिए लागू होंगे।

- (ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी पर इन निदेशों के अध्याय VIII के पैराग्राफ 105, 106 और 107 लागू होंगे, लेकिन इन निदेशों का कोई अन्य प्रावधान लागू नहीं होगा।
- (iii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी पर इन निदेशों के अध्याय III का पैराग्राफ 21(2) लागू होगा, लेकिन इन निदेशों का कोई अन्य प्रावधान लागू नहीं होगा।

(3) ये निदेश निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होंगे:

- (i) बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण योजना के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एमजीसी।
- (ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एए।
- (iii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एसपीडी।
- (iv) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एनओएफएचसी।
- (v) <sup>1</sup>['टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी]।

नोट इन निदेशों के तहत प्रयोज्यता [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा\) निदेश, 2025](#) में निर्धारित एनबीएफसी के लिए विनियामक संरचना के अनुरूप है।

## सी. परिभाषाएँ

4.

(1) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (i) 'वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की वास्तविक तिथि' (वास्तविक डीसीसीओ) का अर्थ उस तिथि से है जिस तिथि को परियोजना को वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया है और रियायत प्राप्तकर्ता

---

<sup>1</sup> 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) संशोधन निदेश, 2026 दिनांक 29 अप्रैल, 2026, के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया।

/ परियोजना डेवलपर / प्रमोटर को कार्य-समापन प्रमाण पत्र / अनंतिम कार्य-समापन प्रमाण पत्र / अधिभोग प्रमाण पत्र (सीआरई और सीआरई-आरएच परियोजनाओं के मामले में) या इसके समतुल्य कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

- (ii) 'वार्षिक प्रतिशतता दर' (एपीआर) का अर्थ है, [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – ज़िम्मेदार कारोबार आचरण\) निदेश, 2025](#) के तहत परिभाषित एपीआर।
- (iii) 'नियुक्त तिथि' का अर्थ वह तिथि है, जिस तिथि को रियायत करार, उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार लागू होता है, जैसा कि रियायत प्राप्तकर्ता और रियायत देने वाले प्राधिकारी के बीच हुए रियायत करार में परिभाषित है। (यह केवल सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में लागू होता है)।
- (iv) 'एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण' का अर्थ है ऐसे ऋण जहां मूलधन और ब्याज दोनों ऋण की परिपक्वता पर भुगतान के लिए देय हैं।
- (v) 'संपार्श्विक प्रतिभूति' या 'संपार्श्विक' का अर्थ है उधारकर्ता की मौजूदा आस्ति जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा का लाभ उठाने और सुरक्षित करने के लिए ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई है।
- (vi) 'उपभोग ऋण' का अर्थ है कोई भी अनुमेय ऋण जो बाद में परिभाषित 'आय अर्जक ऋण' की परिभाषा में उपयुक्त नहीं बैठता है।
- (vii) 'ऋण घटना': परियोजना वित्त एक्सपोज़र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसी एक घटना के घटित होने पर मानी जाएगी:

(ए) किसी भी ऋणदाता के साथ चूक।

(बी) कोई भी ऋणदाता परियोजना के मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, के विस्तार की आवश्यकता तय करता है।

(सी) मूल / विस्तारित डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति।

(डी) कोई भी ऋणदाता अतिरिक्त ऋण प्रवाह की आवश्यकता तय करता है।

(ई) परियोजना [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान\) निदेश, 2025](#) के भाग-ए के तहत निर्धारित वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है।

**स्पष्टीकरण:** एनबीएफसी जिस पर उपरोक्त एमडी का भाग-ए लागू नहीं है, वह भी भाग-ए के तहत निर्धारित वित्तीय कठिनाई के निर्धारण के उद्देश्य से उन्हीं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

- (viii) 'चूक हानि गारंटी' (डीएलजी) का अर्थ एनबीएफसी और किसी अन्य संस्था के बीच कोई संविदात्मक व्यवस्था है, जिसे जिस नाम से भी जाना जाए, जिसके तहत दूसरी संस्था एनबीएफसी को, एनबीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो के एक तय प्रतिशत तक, चूक की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देती है। इस तरह की कोई भी दूसरी अप्रत्यक्ष गारंटी, जो एनबीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से जुड़ी हो और पहले से तय हो, वह भी डीएलजी की परिभाषा के दायरे में आएगी।
- (ix) 'डिजिटल उधार' का अर्थ है एक दूरस्थ और स्वचालित ऋण प्रक्रिया, जिसमें मुख्य रूप से नए ग्राहक हासिल करना, ऋण मूल्यांकन, ऋण अनुमोदन, संवितरण, वसूली और संबंधित ग्राहक सेवा के लिए निर्बाध डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- (x) 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स / प्लेटफॉर्म' (डीएलए) का अर्थ ऐसे मोबाइल और/या वेब-आधारित एप्लिकेशन हैं, जो स्वतंत्र रूप से या किसी एप्लिकेशन के कार्यों के समूह के हिस्से के रूप में, यूजर इंटरफ़ेस के साथ डिजिटल उधार सेवाएँ प्रदान करते हैं। डीएलए में एनबीएफसी के एप्लिकेशन के साथ-साथ वे एप्लिकेशन भी शामिल होंगे जिन्हें एनबीएफसी द्वारा नियुक्त उधार सेवा प्रदाता (एलएसपी) द्वारा संचालित किया जाता है, ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप कोई भी ऋण सुविधा सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- (xi) 'वित्तीय पूर्णता की तिथि' का अर्थ वह तिथि है जब परियोजना की पूंजी संरचना, जिसमें इक्विटी, ऋण, अनुदान (केवल अवसंरचना पीपीपी परियोजनाओं के मामले में) (यदि कोई हो) शामिल हैं और जो कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 90 प्रतिशत है, सभी हितधारकों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती है।
- स्पष्टीकरण:** सीआरई-आरएच परियोजनाओं के मामले में, ऋणदाता आकस्मिक बिक्री प्राप्य राशि (यदि कोई हो) को परियोजना में प्रमोटरों के योगदान के हिस्से के रूप में मान सकते हैं।
- (xii) 'चूक' का अर्थ है कर्ज का भुगतान न करना (जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 में परिभाषित किया गया है), जब कर्ज का पूरा या कोई हिस्सा या कोई किस्त देय हो और कर्जदार ने उसका भुगतान न किया हो।

(xiii) 'विस्तारित डीसीसीओ': यदि मूल डीसीसीओ को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित डीसीसीओ को विस्तारित डीसीसीओ कहा जाएगा।

(xiv) 'आवास वित्त' का अर्थ है रिहायशी आवासीय इकाइयों की खरीद/निर्माण/पुनर्निर्माण/नवीकरण/मरम्मत के लिए वित्तपोषण, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(ए) नई आवासीय इकाइयों के निर्माण/खरीद के लिए सहकारी समितियों सहित व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण।

(बी) पुरानी आवासीय इकाइयों की खरीद के लिए व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को ऋण।

(सी) व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को मौजूदा आवासीय इकाइयों को बंधक रखकर पुरानी/नई आवासीय इकाइयों को खरीदने के लिए ऋण।

(डी) रिहायशी आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए भूखंडों की खरीद के लिए व्यक्तियों को ऋण, बशर्ते कि उधारकर्ता से यह घोषणा प्राप्त की जाए कि वह ऋण प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर भूखंड पर एक घर का निर्माण करने का इरादा रखता है।

(ई) मौजूदा आवासीय इकाइयों के नवीकरण/पुनर्निर्माण के लिए व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह को ऋण।

(एफ) रिहायशी आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य आवास बोर्डों सहित सार्वजनिक एजेंसियों को ऋण देना।

(जी) कर्मचारी आवास के लिए कारपोरेट/सरकारी एजेंसियों को ऋण।

(एच) शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्थानों/केन्द्रों के निर्माण के लिए ऋण, जो आवास परियोजनाओं का हिस्सा हैं और जो बस्तियों या टाउनशिप के विकास के लिए आवश्यक हैं (नीचे नोट देखें)।

(आई) नोट: कुछ वाणिज्यिक स्थान (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल आदि) वाली एकीकृत आवास परियोजनाओं को रिहायशी आवास के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते रिहायशी आवास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र, परियोजनाओं के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

(जे) झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्माण के लिए ऋण, जिसके लिए केन्द्र सरकार की गारंटी पर झुग्गी वासियों को सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ऋण दिया जा सकता है।

(के) झुग्गी-झोपड़ी उन्मूलन बोर्डों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली झुग्गी-झोपड़ी सुधार योजनाओं के लिए दिए गए ऋण।

(एल) रिहायशी आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए बिल्डरों को ऋण देना।

आवासीय इकाइयों को सुसज्जित करने के लिए दिए गए ऋण, एक नई आवासीय इकाई(यों) की खरीद/निर्माण या मौजूदा आवासीय इकाई(यों) के नवीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए संपत्ति के बंधक पर दिए गए ऋणों सहित अन्य सभी ऋणों को गैर-आवास ऋण के रूप में माना जाएगा और 'आवास वित्त' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा।

(xv) 'आय अर्जक ऋण' का अर्थ है उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण, जैसे कि कृषि ऋण, व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऋण, उत्पादक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए ऋण आदि।

(xvi) 'अवसंरचना क्षेत्र' में वे उप-क्षेत्र शामिल होंगे जो आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अवसंरचना उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची में शामिल हैं।

(xvii) 'निर्माण के दौरान ब्याज' (आईडीसी) का अर्थ है वह ब्याज जो किसी ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर उपचित होता है और परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पर पूंजीकृत होता है।

(xviii) 'गहना' का अर्थ है वे वस्तुएं जिन्हें व्यक्तिगत सजावट के रूप में पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(xix) 'उधार सेवा प्रदाता' (एलएसपी) का अर्थ एनबीएफसी (किसी अन्य ऋणदाता सहित) के उस एजेंट से है जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिदेशों के अनुरूप एनबीएफसी की ओर से किसी विशिष्ट ऋण या ऋण पोर्टफोलियो की वसूली, सर्विसिंग, निगरानी, मूल्य निर्धारण और हामीदारी (अंडरराइटिंग) से संबंधित सेवाओं, नए ग्राहक हासिल करने में एनबीएफसी के एक या अधिक डिजिटल उधार कार्य संपन्न करता है।

बशर्ते कि, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा निदेशों के संदर्भ में केवल भुगतान एग्रीगेटर (पीए) सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं इन निदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी, एलएसपी की भूमिका निभाने वाला कोई भी पीए इन निदेशों के अध्याय III का पालन करेगा।

(xx) 'मूल डीसीसीओ' का अर्थ उस तिथि से है, जैसा कि वित्तीय बंदी के समय परिकल्पित किया गया है, जब परियोजना को वाणिज्यिक उपयोग में लाए जाने की उम्मीद है और रियायत प्राप्तकर्ता /

परियोजना डेवलपर / प्रमोटर को कार्य-समापन प्रमाण पत्र / अनंतिम कार्य-समापन प्रमाण पत्र, या इसके समतुल्य कोई प्रमाण पत्र जारी किए जाने की उम्मीद है। '

*बशर्ते कि*, सीआरई और सीआरई-आरएच परियोजनाओं के मामले में, मूल डीसीसीओ वह तारीख होगी जब अधिभोग प्रमाण पत्र, या इसके समतुल्य, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने की उम्मीद है।

(xxi) 'आभूषण' से अर्थ उन वस्तुओं से है जो किसी वस्तु को सजाने, सजावटी सामान या घरेलू सामान के रूप में उपयोग की जाती हैं, उन वस्तुओं को छोड़कर जो पहले दी गई 'गहना' की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

(xxii) 'प्राथमिक स्वर्ण' और 'प्राथमिक चांदी' का अर्थ है गहने, आभूषण और सिक्कों के अलावा किसी भी रूप में सोना और चांदी।

(xxiii) इन निदेशों के अध्याय VI के संदर्भ में 'परियोजना' का अर्थ है मूर्त आस्तियों और / या सुविधाओं के निर्माण/ विस्तार/ उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय (निधियों के वर्तमान और भविष्य के परिव्यय को शामिल करते हुए) के माध्यम से किए गए उद्यम जिससे भविष्य में लंबे समय तक नकदी प्रवाह से लाभ मिलने की प्रत्याशा रहे। आमतौर पर परियोजना की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं: निर्माण पूर्व लंबी अवधि, अपरिवर्तनीयता और पर्याप्त पूंजी परिव्यय।

(xxiv) इन निदेशों के अध्याय VI के संदर्भ में 'परियोजना वित्त' का अर्थ किसी परियोजना के वित्तपोषण की उस विधि से है जिसमें वित्त पोषित परियोजना द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला राजस्व, ऋण के लिए प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में और पुनर्भुगतान के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। परियोजना वित्त का रूप किसी नए पूंजीगत संस्थापन (ग्रीनफील्ड) के निर्माण के लिए वित्तपोषण या मौजूदा संस्थापन (ब्राउनफील्ड) में सुधार/संवर्धन के लिए वित्तपोषण हो सकता है। इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, कोई एक्सपोजर केवल तभी परियोजना वित्त एक्सपोजर के रूप में योग्य होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाए:

(ए) वित्तीय बंदी के समय परिकल्पित पुनर्भुगतान का पूर्व-प्रमुख स्रोत (अर्थात्, कम से कम 51 प्रतिशत) उस परियोजना से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह से होना चाहिए जिसे वित्तपोषित किया जा रहा है।

(बी) सभी ऋणदाताओं का देनदार के साथ एक साझा करार हो।

*स्पष्टीकरण:* एक साझा करार में प्रत्येक ऋणदाता के लिए ऋण से संबंधित अलग-अलग शर्तें हो सकती हैं (मूल/विस्तारित/वास्तविक डीसीसीओ को छोड़कर जैसा कि इन निदेशों

के पैराग्राफ 68 में निर्दिष्ट किया गया है) बशर्ते कि परियोजना के सभी ऋणदाता(ओं) और देनदार द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई हो।

(xxv) 'पुनर्निर्माण' का अर्थ वही है जो [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान\) निदेश, 2025](#) में परिभाषित किया गया है।

(xxvi) इन निदेशों के अध्याय IV के संदर्भ में 'टॉप-अप ऋण' का अर्थ है—मूल ऋण की अवधि के दौरान, बकाया ऋण के अलावा स्वीकृत किया जाने वाला एक अतिरिक्त ऋण, जो उसी मौजूदा ऋण के लिए पहले से गिरवी रखे गए संपार्श्विक के आधार पर दिया जाता है।

(2) अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहाँ परिभाषित न की गई हो, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत दिया गया है, या जैसा कि वाणिज्यिक बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

## अध्याय II – बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ

### ए. बोर्ड की भूमिका

5. एनबीएफसी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जहां तक वे ऐसी गतिविधियां करती हैं, को शामिल किया जाएगा। इस नीति में जिन विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दिया जाना है, उनका ब्यौरा इन निदेशों के संबंधित पैराग्राफ में दिया गया है।

- (1) डीएलजी सहित डिजिटल उधार
- (2) सोने और चांदी के संपार्श्विक पर उधार
- (3) सूक्ष्म वित्त ऋण
- (4) परियोजना वित्त
- (5) मांग / शीघ्रावधि मांग ऋण
- (6) आवास वित्त

### अध्याय III – डिजिटल उधार

#### ए. एनबीएफसी-एलएसपी व्यवस्थाओं के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

##### 6. एलएसपी के संबंध में उचित जांच-पड़ताल संबंधी आवश्यकताएं

- (1) एलएसपी को शामिल करने वाले एनबीएफसी द्वारा डिजिटल उधार, एनबीएफसी और एलएसपी के बीच एक संविदात्मक करार के तहत दिया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक पक्ष की संबंधित भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करेगा।
- (2) एनबीएफसी डिजिटल उधार देने के लिए एलएसपी के साथ करार निष्पादित करने से पहले एलएसपी की तकनीकी क्षमताओं, डेटा गोपनीयता नीति और स्टोरेज प्रणाली की सुदृढ़ता, उधारकर्ता के साथ आचरण में निष्पक्षता, आचरण के पिछले रिकॉर्ड और सभी लागू विनियमों व कानूनों का पालन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्नत उचित जांच-पड़ताल का संचालन करेगा।
- (3) एनबीएफसी संविदात्मक करार की शर्तों के आधार पर एलएसपी के आचरण की आवधिक समीक्षा करेगा और इससे किसी भी विचलन की स्थिति में उचित कार्रवाई करेगा।
- (4) एनबीएफसी अपनी नीति के हिस्से के रूप में, एलएसपी की सहायता से उत्पन्न ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र निर्धारित करेगा।
- (5) एनबीएफसी एक वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एलएसपी को जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एलएसपी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ- जिम्मेदार कारोबार आचरण\) निदेश, 2025](#) में लागू अनुदेशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों का अनुपालन करता है।
- (6) एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिदेशों का पालन करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नियोजित एलएसपी और डीएलए (चाहे वे एनबीएफसी के हों या एनबीएफसी द्वारा नियोजित एलएसपी के) इन निदेशों का अनुपालन करते हैं।
- (7) एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में, एलएसपी के साथ एनबीएफसी द्वारा किया गया कोई भी आउटसोर्सिंग करार किसी भी सांविधिक या विनियामक प्रावधान के तहत एनबीएफसी को अपने दायित्वों से किसी भी तरह से मुक्त या कम नहीं करेगा, और एनबीएफसी एलएसपी के सभी कार्यों और चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी रहेगा।

7. एनबीएफसी -एलएसपी व्यवस्थाएं जिसमें कई ऋणदाता शामिल हैं:

ऐसे मामलों में जहां कोई एलएसपी डिजिटल उधार देने के लिए कई ऋणदाताओं के साथ करार किए हों, वहाँ प्रत्येक एनबीएफसी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

- (1) एलएसपी डीएलए पर उधारकर्ता के अनुरोध से मेल खाने वाले सभी ऋण प्रस्तावों का एक डिजिटल रूप प्रदान करेगा जो उधारकर्ता की आवश्यकता को पूरा करता है। इस डिजिटल रूप में उन ऋणदाताओं के नाम भी बताए जाएंगे जिनके प्रस्ताव मेल नहीं खाते हैं।
- (2) हालांकि एलएसपी ऋण की पेशकश करने के लिए उधारकर्ताओं के अनुरोध को ऋणदाता(ओं) से मिलान करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, लेकिन उसे एक जैसी स्थिति वाले उधारकर्ताओं और उत्पादों के लिए एक जैसा तरीका अपनाना होगा। एलएसपी द्वारा अपनाए गए तरीके और बाद में उसमें किए गए किसी भी बदलाव का उपयुक्त रूप से दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
- (3) मिलान पूरा करने वाले(मैचिंग) ऋणदाताओं से मिलने वाले ऋण प्रस्तावों के डिजिटल रूप में ऋण की पेशकश करने वाले ऋणदाता(ओं) का/के नाम, ऋण की राशि और अवधि, एपीआर, हर महीने ऋण चुकाने की राशि और दंड प्रभार (यदि लागू हो) जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए, ताकि उधारकर्ता अलग-अलग ऋण प्रस्तावों की सही तरह से तुलना कर सके। प्रत्येक ऋणदाता के संबंध में केएफएस का लिंक भी प्रदान किया जाएगा।
- (4) एलएसपी द्वारा प्रदर्शित सामग्री निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण होगी और किसी विशेष ऋणदाता के उत्पाद को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं देगी, जिसमें उधारकर्ताओं को किसी विशेष ऋण प्रस्ताव को चुनने में गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किए गए डार्क पैटर्न/भ्रामक पैटर्न का उपयोग शामिल है। हालाँकि, अगर ऋण प्रस्ताव का क्रम निर्धारण पहले से सार्वजनिक रूप से बताए गए पैमाने के आधार पर की जाती है, तो इसे किसी विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना नहीं माना जाएगा।  
*नोट:* डार्क पैटर्न का अर्थ वही होगा जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 30 नवंबर, 2023 को जारी 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिदेश , 2023' के भाग 2(ई) के तहत परिभाषित किया गया है, और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

**बी. आचरण एवं ग्राहक संरक्षण संबंधी आवश्यकताएँ**

8. उधारकर्ता की ऋण पात्रता का आकलन करना

- (1) एनबीएफसी कोई भी ऋण देने से पहले उधारकर्ता की ऋण पात्रता का आकलन करने की दृष्टि से उधारकर्ता की आर्थिक प्रोफ़ाइल से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा, जिसमें कम से कम,

आयु, पेशा और आय संबंधी विवरण शामिल हैं। इसे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

- (2) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण सीमा में अपने-आप कोई बढ़ोतरी न हो, जब तक कि उधारकर्ता से ऐसी बढ़ोतरी के लिए साफ़ तौर पर कोई अनुरोध न मिले, उसकी जाँच न की जाए और उसे रिकॉर्ड में न रखा जाए।

9. उधारकर्ताओं को प्रकटीकरण

- (1) एनबीएफसी, [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - जिम्मेदार कारोबार आचरण\) निदेश, 2025](#) में निहित अनुदेशों के अनुसार एक प्रमुख तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करेगा।
- (2) दंडात्मक प्रभार के संबंध में, एनबीएफसी को [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - जिम्मेदार कारोबार आचरण\) निदेश, 2025](#) का पालन करना होगा।
- (3) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज (एनबीएफसी के पत्र-शीर्ष पर) जैसे केएफएस, ऋण उत्पाद का सारांश, स्वीकृति पत्र, नियम और शर्तें, खाता विवरण, उधारकर्ताओं के डेटा संग्रहण और उपयोग के संबंध में एनबीएफसी /एलएसपी की गोपनीयता नीतियाँ, आदि ऋण संविदा के निष्पादन/लेनदेन के बाद उधारकर्ता को उसके पंजीकृत और सत्यापित ईमेल/एसएमएस पर स्वचालित रूप से पहुँच जाए।  
*नोट:* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन में होंगे।
- (4) एनबीएफसी सार्वजनिक डोमेन में अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाए रखेगा, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ पहुँच में आसानी के लिए वेबसाइट पर एक प्रमुख स्थान पर निम्नलिखित विवरणों के साथ अद्यतित रखा जाएगा:
- (i) इसके सभी डिजिटल उधार उत्पादों और इसके डीएलए का विवरण
  - (ii) एलएसपी का विवरण और एलएसपी के डीएलए का विवरण, उन गतिविधियों के विवरण के साथ जिनके लिए उन्हें नियोजित किया गया है।
  - (iii) एनबीएफसी ग्राहक सेवा और आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के विवरण।
  - (iv) रिज़र्व बैंक के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) और सचेत पोर्टल का लिंक।
  - (v) रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक गोपनीयता नीतियाँ और अन्य विवरण।

- (5) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि डीएलए/एलएसपी के पास एनबीएफसी की उपरोक्त वेबसाइट के लिंक हों।
- (6) ऋण चूक के मामले में, जब वसूली के लिए किसी वसूली एजेंट को नियुक्त किया जाता है या पहले से नियुक्त वसूली एजेंट में कोई बदलाव होता है, तो वसूली के लिए उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए प्राधिकृत ऐसे वसूली एजेंट के विवरण वसूली एजेंट द्वारा उधारकर्ता से संपर्क करने से पहले ईमेल/एसएमएस के माध्यम से उधारकर्ता को सूचित किए जाएंगे।

#### 10. ऋण संवितरण, चुकौती और पुनर्भुगतान

- (1) एनबीएफसी द्वारा वैधानिक या विनियामक अधिदेश (रिज़र्व बैंक या किसी अन्य विनियामक के) के तहत विशेष रूप से कवर किए गए संवितरणों, सह-उधार लेनदेन के लिए ऋणदाताओं के बीच धन के प्रवाह और विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए संवितरण को छोड़कर, ऋण का संवितरण हमेशा उधारकर्ता के बैंक खाते में किया जाएगा, बशर्ते कि ऋण सीधे अंतिम-लाभार्थी के बैंक खाते में संवितरित किया जाए। एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि 'डिजिटल उधार' पर इस अध्याय में प्रावधान किए गए को छोड़कर, किसी भी मामले में, एलएसपी के खातों सहित किसी भी अन्य पक्ष के खाते में संवितरण नहीं किया जाए।

बशर्ते कि वेतन के एवज में अग्रिम, जहां ऋण सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में संवितरित किया जाता है, लेकिन चुकौती कॉर्पोरेट नियोक्ता से होती है, इस शर्त के अधीन अनुमति दी जा सकती है कि ऋण उधारकर्ता के वेतन से राशि काटकर कॉर्पोरेट नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लेनदेन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन के प्रवाह पर एलएसपी का कोई नियंत्रण न हो और चुकौती सीधे नियोक्ता के बैंक खाते से एनबीएफसी को हो।

नोट: सह-उधार व्यवस्थाएं [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण\) निदेश, 2025](#) द्वारा शासित होंगी, बशर्ते सह-उधार लेनदेन में ऋणदाताओं के अलावा कोई भी अन्य पक्ष किसी भी समय धन के प्रवाह पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखेगा।

- (2) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ऋण चुकौती, पुनर्भुगतान आदि अन्य पक्ष के किसी भी पास-थ्रू खाते/पूल खाते के बिना सीधे एनबीएफसी के बैंक खाते में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाएं, जिसमें एलएसपी के खाते भी शामिल हैं।
- (3) उधारकर्ता और एनबीएफसी के बैंक खातों के बीच धन का प्रवाह किसी अन्य पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसमें एलएसपी भी शामिल है।

- (4) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि एलएसपी को देय कोई भी शुल्क, प्रभार, प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान सीधे एनबीएफसी द्वारा किया जाए और एलएसपी द्वारा उधारकर्ताओं से अलग से प्रभारित या वसूल न की जाए।
- (5) अदत्त ऋणों के मामले में, एनबीएफसी आवश्यकतानुसार नकद में ऋण वसूलने के लिए भौतिक इंटरफेस का उपयोग कर सकता है। एनबीएफसी को परिचालनगत लचीलापन देने के लिए, ऐसे लेनदेन एनबीएफसी के बैंक खाते में ऋण के प्रत्यक्ष चुकौती की आवश्यकता से छूट प्राप्त हैं। हालांकि, नकद द्वारा किसी भी वसूली को उसी दिन उधारकर्ता के खाते में पूरी तरह से दर्शाया जाना चाहिए और एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे वसूली के लिए एलएसपी को देय कोई भी शुल्क, प्रभार आदि सीधे एनबीएफसी द्वारा भुगतान किए जाएं और वसूली से प्राप्त राशि से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एलएसपी द्वारा उधारकर्ता से शुल्क न लिया जाए।

#### 11. कूलिंग-ऑफ अवधि

- (1) उधारकर्ता को प्रारंभिक " कूलिंग-ऑफ अवधि" के दौरान बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का एक स्पष्ट विकल्प दिया जाएगा। कूलिंग-ऑफ अवधि एनबीएफसी द्वारा उनकी ऋण नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी, बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित अवधि एक दिन से कम न हो। कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद भी ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ता के लिए, [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – जिम्मेदार कारोबार आचरण\) निदेश, 2025](#) के अनुसार पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाती रहेगी।
- (2) यदि ग्राहक कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान ऋण से बाहर निकलता है, तो एनबीएफसी एक उचित एकबारगी प्रोसेसिंग शुल्क रख सकता है। यह, यदि लागू हो, तो एएफएस में ग्राहक को अग्रिम रूप से इसका खुलासा किया जाएगा।

#### 12. शिकायत निवारण

- (1) एनबीएफसी, और उनका एलएसपी जिसका उधारकर्ता के साथ इंटरफेस है, उधारकर्ता द्वारा उठाए गए डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए नोडल शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित करेगा।
- (2) नोडल शिकायत निवारण अधिकारियों के संपर्क विवरण एनबीएफसी, इसके एलएसपी की वेबसाइटों पर और डीएलए पर, साथ ही उधारकर्ता को प्रदान किए गए एएफएस में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

- (3) शिकायत दर्ज करने की सुविधा डीएलए पर और ऊपर बताई गई वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह दोहराया जाता है कि शिकायत निवारण की जिम्मेदारी एनबीएफसी के पास ही रहेगी।
- (4) यदि एनबीएफसी या एनबीएफसी द्वारा नियोजित एलएसपी के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत को एनबीएफसी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, या उधारकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है; या एनबीएफसी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता को कोई उत्तर नहीं मिला है, तो उक्त उधारकर्ता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (यथा लागू) के अंतर्गत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस - <https://cms.rbi.org.in/>) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है या "केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ - 160017" को लिखित शिकायत भेज सकता है। यह जानकारी उधारकर्ता को उपयुक्त रूप से दी जाएगी।

## सी. प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएं

### 13. डेटा का संग्रह, उपयोग और अन्य पक्ष के साथ साझा करना

- (1) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके डीएलए और उनके एलएसपी के डीएलए द्वारा डेटा का कोई भी संग्रह आवश्यकता-आधारित हो और उधारकर्ता की पूर्व और स्पष्ट सहमति से हो, जिसके लिए ऑडिट ट्रेल रखा गया है। किसी भी मामले में, एनबीएफसी यह भी सुनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी /एलएसपी के डीएलए मोबाइल फोन संसाधनों जैसे फाइल और मीडिया, संपर्क सूची, कॉल लॉग, टेलीफोनी फ़ंक्शन आदि तक पहुँचने से बचें। कैमरे, माइक्रोफ़ोन, स्थान या ऑन-बोर्डिंग/केवाईसी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक किसी अन्य सुविधा के लिए उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति से केवल एक बार की पहुँच ली जा सकती है।
- (2) उधारकर्ता को विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने, अन्य पक्ष को खुलासे को प्रतिबंधित करने, डेटा प्रतिधारण, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए पहले दी गई सहमति को रद्द करने और यदि आवश्यक हो, तो एनबीएफसी /एलएसपी को डेटा को हटाने/भूल जाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- (3) उधारकर्ताओं की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य को उधारकर्ताओं के साथ इंटरफेस के प्रत्येक चरण में प्रकट करने की आवश्यकता है।

- (4) सांविधिक या विनियामक आवश्यकता के अनुसार ऐसे साझाकरण की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, किसी भी अन्य पक्ष के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति ली जाएगी।

#### 14. डेटा संचय

- (1) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नियोजित एलएसपी उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी संचय न करें सिवाय कुछ अवसंरचनात्मक न्यूनतम डेटा (जैसे नाम, पता, ग्राहक का संपर्क विवरण, आदि) के जो एनबीएफसी -एलएसपी करार के दायरे में उनके परिचालन या सेवा को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में निरंतर जिम्मेदारी एनबीएफसी की होगी।
- (2) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक डेटा के संचय के संबंध में स्पष्ट नीति दिशानिदेश जिसमें डेटा के प्रकार को संग्रहित किया जा सकता है, वह अवधि जिसके लिए डेटा संग्रहित किया जा सकता है, डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध, डेटा को नष्ट करने संबंधी प्रोटोकॉल, सुरक्षा उल्लंघन से निपटने के मानक आदि शामिल हैं, को लागू किया जाए और एनबीएफसी द्वारा नियोजित एलएसपी और एनबीएफसी द्वारा उनकी वेबसाइट और डीएलए पर हर समय प्रमुखता से प्रकट किया जाए।
- (3) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि एनबीएफसी और एलएसपी द्वारा कोई भी बायोमेट्रिक डेटा संचय/संग्रहित नहीं किया जाता है, जब तक कि मौजूदा सांविधिक दिशानिदेशों के तहत अनुमति न हो।
- (4) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि सांविधिक दायित्वों/विनियामक निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते समय सभी डेटा केवल भारत के भीतर स्थित सर्वर में संचय किया जाए। इसके अलावा, यदि डेटा को भारत के बाहर प्रसंस्कृत किया जाता है, तो उसे भारत के बाहर के सर्वर से हटा दिया जाएगा और प्रसंस्करण के 24 घंटे के भीतर भारत वापस लाया जाएगा।

#### 15. व्यापक गोपनीयता नीति

- (1) एनबीएफसी और उनके एलएसपी के पास लागू कानूनों, संबंधित विनियमों और आरबीआई के दिशानिदेशों के अनुपालन में एक व्यापक गोपनीयता नीति होगी जो एनबीएफसी और एलएसपी की वेबसाइट पर, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) डीएलए के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की अनुमति प्राप्त अन्य पक्षों (जहाँ लागू हो) का विवरण भी गोपनीयता नीति में प्रकट किया जाएगा।

## 16. प्रौद्योगिकी मानक

एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि वे और उनके द्वारा नियोजित एलएसपी डिजिटल उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियों, या जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा साइबर सुरक्षा पर निर्धारित विभिन्न प्रौद्योगिकी मानकों/आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

## डी. ऋण सूचना और डीएलए की रिपोर्टिंग

### 17. साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग

- (1) साख सूचना कंपनियां (सीआईसी) (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, सीआईसी नियम, 2006; सीआईसी विनियम, 2006 और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित दिशानिदेशों के अनुसार; एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके डीएलए और/या एलएसपी के डीएलए के माध्यम से दिया गया कोई भी उधार की रिपोर्टिंग सीआईसी को किया जाए, चाहे उनकी प्रकृति/अवधि कोई भी हो।
- (2) अल्पकालिक, असंरक्षित/संरक्षित ऋण या आस्थगित भुगतानों से जुड़े मर्चेट प्लेटफॉर्म पर एनबीएफसी और/या एनबीएफसी द्वारा नियोजित एलएसपी द्वारा संरचित डिजिटल उधार उत्पादों के विस्तार की रिपोर्टिंग एनबीएफसी द्वारा सीआईसी को किया जाना आवश्यक है। एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आस्थगित भुगतान ऋण उत्पादों से जुड़े एलएसपी, यदि कोई हों, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिदेशों का पालन करें और इन निदेशों द्वारा निर्देशित हों।

### 18. आरबीआई को डीएलए की रिपोर्टिंग

- (1) एनबीएफसी इन निदेशों के अनुबंध-1 में दिए गए अपेक्षित प्रारूप में रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल पर उनके द्वारा तैनात/जुड़े सभी डीएलए की रिपोर्ट करेगा इसमें वे डीएलए भी शामिल होंगे जो उनके अपने हैं या एलएसपी के हैं, चाहे वे अकेले काम कर रहे हों या किसी प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर।
- (2) जब अतिरिक्त डीएलए तैनात किए जाते हैं या मौजूदा डीएलए के साथ जुड़ाव समाप्त हो जाता है, तो एनबीएफसी सीआईएमएस पोर्टल में अद्यतन डेटा दर्ज करके उपरोक्त सूची को अद्यतन करेगा।
- (3) एनबीएफसी का मुख्य अनुपालन अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए एनबीएफसी के बोर्ड द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि सीआईएमएस पोर्टल पर उनके द्वारा प्रस्तुत डीएलए पर डेटा सही है और डीएलए इस अध्याय के प्रावधानों सहित सभी मौजूदा विनियामक अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

- (4) ऊपर बताई गई सामान्य बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य अनुपालन अधिकारी/ एनबीएफसी के बोर्ड द्वारा नामित अन्य अधिकारी निम्नलिखित पहलुओं को प्रमाणित करेगा:
- (i) डीएलए के पास एनबीएफसी की वेबसाइट का लिंक है जहाँ ऋण उत्पादों, ऋणदाता, एलएसपी, ग्राहक सेवा के विवरण, सचेत पोर्टल के लिंक, गोपनीयता नीतियों आदि के बारे में अधिक जानकारी उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
  - (ii) डीएलए (एलएसपी के स्वामित्व के मामले में) ने उधारकर्ता द्वारा उठाए गए डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए एक उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका विवरण संबंधित डीएलए पर प्रमुखता से उपलब्ध है।
  - (iii) डीएलए द्वारा डेटा संग्रह और संचय इन निदेशों के पैराग्राफ 13 और 14 और समय-समय पर लागू अन्य सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में है।
  - (iv) एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत डीएलए के विवरण इन निदेशों के पैराग्राफ 9(4) के अनुसार एनबीएफसी की वेबसाइट पर भी उपयुक्त रूप से प्रकट किए गए हैं।
- (5) एनबीएफसी डीएलए के संबंध में जानकारी की शुद्धता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगा, क्योंकि एनबीएफसी द्वारा सीआईएमएस पर प्रस्तुत डेटा, स्वचालित तरीके से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और रिज़र्व बैंक सीआईएमएस पर प्रस्तुत डेटा को सत्यापित/मान्य नहीं करेगा। डीएलए से संबंधित ग्राहकों के सभी मुद्दों और शिकायतों का समाधान सीधे एनबीएफसी द्वारा किया जाएगा।
- (6) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में उनके द्वारा तैनात किसी भी अन्य पक्ष के डीएलए को शामिल करने को डीएलए या किसी भी संबंधित इकाई द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के पंजीकरण, प्राधिकरण या समर्थन के रूप में नहीं समझा जाएगा। एनबीएफसी यह भी सुनिश्चित करेगा कि डीएलए द्वारा या उनकी ओर से जारी किसी भी विपणन, प्रचार या अन्य सामग्रियों में इस तरह के समावेश को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाए।

### **ई. चूक की स्थिति में नुकसान साझा करने की व्यवस्था**

#### **19. डिफॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी) प्रदाता के रूप में पात्रता**

एनबीएफसी केवल एलएसपी / एलएसपी के रूप में नियोजित अन्य ऋणदाता के साथ डीएलजी व्यवस्था निष्पादित कर सकता है। इसके अलावा, डीएलजी प्रदान करने वाले एलएसपी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया जाना चाहिए।

## 20. डीएलजी प्रदाता के संबंध में उचित जांच-पड़ताल और अन्य आवश्यकताएं

- (1) एनबीएफसी, जिसमें डीएलजी प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला एनबीएफसी भी शामिल है, किसी भी डीएलजी व्यवस्था निष्पादित करने से पहले अपनी नीति के हिस्से के रूप में डीएलजी प्रदाता के लिए पात्रता मानदंड, डीएलजी कवर की प्रकृति और सीमा, डीएलजी व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा की प्रक्रिया, और शुल्क का विवरण, यदि कोई हो, डीएलजी प्रदाता को देय/प्राप्त, जैसा भी मामला हो, निर्धारित करेगा।
- (2) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी डीएलजी व्यवस्था ऋण मूल्यांकन आवश्यकताओं के विकल्प के रूप में कार्य न करे और डीएलजी कवर की परवाह किए बिना मजबूत ऋण हामीदारी (ऋण अंडरराइटिंग) मानक स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- (3) हर बार जब एनबीएफसी डीएलजी व्यवस्था निष्पादित करता है या उसका नवीनीकरण करता है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगा कि डीएलजी का विस्तार करने वाली संस्था इसका सम्मान करने में सक्षम होगी। ऐसी जानकारी में न्यूनतम रूप से डीएलजी प्रदाता के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित कुल बकाया डीएलजी राशि, ऋणदाताओं की संख्या और संबंधित पोर्टफोलियो की संख्या पर डीएलजी प्रदाता की एक घोषणा शामिल होगी जिसके प्रति डीएलजी प्रदान किया गया है। घोषणा में समान पोर्टफोलियो पर पिछले चूक दरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- (4) यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ निर्दिष्ट उचित जांच-पड़ताल आवश्यकताएँ इन निदेशों के पैराग्राफ 6 में निर्धारित एनबीएफसी -एलएसपी व्यवस्थाओं पर लागू सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं।

## 21. डीएलजी व्यवस्था निष्पादित करने पर प्रतिबंध

- (1) एनबीएफसी उन ऋणों पर डीएलजी व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के तहत निर्दिष्ट न्यास निधियों द्वारा प्रशासित ऋण गारंटी योजनाओं द्वारा कवर किए जाते हैं।
- (2) एनबीएफसी – पी2पी अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दिए जाने वाले ऋण के लिए डीएलजी व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – समकक्षीय उधार प्लेटफ़ॉर्म) निदेश 2025 का पालन करेगा।

## 22. डीएलजी व्यवस्थाओं की संरचना

डीएलजी व्यवस्थाएं एनबीएफसी और डीएलजी प्रदाता के बीच एक स्पष्ट और कानूनी रूप से लागू करने योग्य संविदा द्वारा समर्थित होंगी। इस संविदा में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित विवरण होंगे:

- (1) डीएलजी कवर की सीमा।
- (2) वह रूप जिसमें डीएलजी कवर को एनबीएफसी के साथ बनाए रखा जाना है।
- (3) डीएलजी लागू करने के लिए समय-सीमा।
- (4) इन निदेशों के पैराग्राफ 28 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं।

## 23. डीएलजी के रूप

एनबीएफसी केवल निम्नलिखित रूपों में से एक या अधिक में डीएलजी स्वीकार करेगा:

- (1) एनबीएफसी के पास जमा नकद।
- (2) एनबीएफसी के पक्ष में चिह्नित ग्रहणाधिकार के साथ एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास बनाए रखा गया सावधि जमा।
- (3) एनबीएफसी के पक्ष में बैंक गारंटी।

## 24. डीएलजी पर कैप (उच्चतम सीमा)

- (1) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बकाया पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की कुल राशि जो अग्रिम रूप से निर्दिष्ट की जाती है, किसी भी समय उस ऋण पोर्टफोलियो से संवितरित कुल राशि के पांच प्रतिशत से अधिक न हो। निहित गारंटी व्यवस्था के मामले में, डीएलजी प्रदाता अंतर्निहित ऋण पोर्टफोलियो के पांच प्रतिशत की समतुल्य राशि से अधिक का कार्य-प्रदर्शन जोखिम नहीं उठाएगा।
- (2) वह पोर्टफोलियो जिस पर डीएलजी की पेशकश की जा सकती है, उसमें पहचाने जाने योग्य और मापने योग्य ऋण आस्ति शामिल होगी जिसे मंजूरी दे दी गई है ('डीएलजी सेट')। यह पोर्टफोलियो डीएलजी कवर के प्रयोजन के लिए स्थिर रहेगा और इसे बदलता रहने वाला नहीं रखा जाएगा।
- (3) डीएलजी पर कैप (उच्चतम सीमा) के उदाहरण

### उदाहरण 1

मान लीजिए कि 1 अप्रैल, 2024 को एनबीएफसी डीएलजी व्यवस्था (डीएलजी सेट) के तहत ₹40 करोड़ का एक पोर्टफोलियो (कुल स्वीकृत ऋणों में से) निर्धारित करता है। विशिष्ट डीएलजी व्यवस्था के उद्देश्य से यह पोर्टफोलियो "फ्रोजन" (स्थिर) रहेगा - जिसका अर्थ है कि ऋण चुकौती/राइट-ऑफ (बट्टे खाते में डालने)

को छोड़कर, इसमें कोई भी ऋण आस्ति जोड़ी या हटाई नहीं जा सकती है। एनबीएफसी के पास ऐसे कई डीएलजी सेट हो सकते हैं।

ऐसे पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ (₹40 करोड़ का 5 प्रतिशत) तय की जाएगी, जो ऋण वितरित होने के साथ-साथ आनुपातिक रूप से सक्रिय होती जाएगी।

#### उदाहरण 2

मान लीजिए कि उपरोक्त डीएलजी सेट में से, ₹10 करोड़ का ऋण तुरंत वितरित किया जाता है। फिर 1 अप्रैल, 2024 तक, पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध डीएलजी कवर ₹0.5 करोड़ (वितरित राशि का 5 प्रतिशत) होगा।

इसके बाद, यदि 15 अप्रैल, 2024 को ₹10 करोड़ का अतिरिक्त ऋण वितरित किया जाता है, तो डीएलजी कवर 15 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होकर आनुपातिक रूप से बढ़कर ₹1 करोड़ हो जाएगा।

(प्रत्येक मामले के सारांश के लिए नीचे दी गई तालिका भी देखें)

**मामला 1:** 30 जून, 2024 तक, बिना किसी चूक के ₹5 करोड़ मूल्य के ऋण की अवधि पूर्ण हो जाती है। इस मामले में, एनबीएफसी की बहियों में बकाया पोर्टफोलियो ₹15 करोड़ होगा और डीएलजी कवर ₹1 करोड़ पर बना रहेगा।

**मामला 2:** इसके बाद, तिमाही2-2024 के दौरान ₹2 करोड़ के भुगतान में चूक होती है और परिणामस्वरूप एनबीएफसी ₹1 करोड़ के पूरे डीएलजी को लागू करता है (यह मानते हुए कि आज तक इन ऋणों के एवज में कोई मूलधन/ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है)। इस मामले में, 30 सितंबर, 2024 तक एनबीएफसी की बहियों में बकाया पोर्टफोलियो ₹15 करोड़ होगा (₹20 करोड़ का मूल पोर्टफोलियो घटाव ₹5 करोड़ ऋण जिनकी बिना चूक के अवधि पूर्ण हुई), लेकिन डीएलजी के लिए कोई अतिरिक्त गुंजाइश उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि अधिकतम अनुमत डीएलजी कवर ₹1 करोड़ (वितरित राशि का 5 प्रतिशत) समाप्त हो चुका है।

**मामला 3:** आगे बढ़ते हुए, मान लें कि एनबीएफसी द्वारा अक्टूबर 2024 के दौरान ₹2 करोड़ के चूक हुए ऋणों में से ₹1 करोड़ की वसूली की जाती है। ऐसे मामले में, 31 अक्टूबर, 2024 तक एनबीएफसी की पुस्तकों में बकाया पोर्टफोलियो की राशि घटकर ₹14 करोड़ रह जाएगी (₹20 करोड़ मूल पोर्टफोलियो घटाव ₹5 करोड़ ऋण जिनकी बिना चूक के अवधि पूर्ण हुई, घटाव ₹1 करोड़ ऋण जो चूक में थे और वसूल कर लिए गए)। हालांकि, डीएलजी कवर को पुनर्स्थापित करने के लिए इस ₹1 करोड़ की वसूली राशि को जोड़ा नहीं जा सकता है।

| (आंकड़े ₹ करोड़ में) |          |                                         |                |                      |                           |                   |                         |
|----------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| अवधि                 | संवितरित | बिना चूक के<br>ऋण की अवधि<br>पूर्ण होना | चूक की<br>राशि | लागू की गई<br>डीएलजी | वसूली/बट्टे<br>खाते डालना | बकाया पोर्टफोलियो | उपलब्ध<br>डीएलजी<br>कवर |
| आरंभिक<br>स्थिति     | 10       | -                                       | -              | -                    | -                         | 10                | 0.5                     |
| आगे का<br>संवितरण    | 10       | -                                       | -              | -                    | -                         | 20                | 1                       |
| मामला 1              | 20       | 5                                       | -              | -                    | -                         | 15                | 1                       |
| मामला 2              | 20       | 5                                       | 2              | 1                    | -                         | 15                | 0                       |
| मामला 3              | 20       | 5                                       | 2              | 1                    | 1                         | 14                | 0                       |

## 25. एनपीए का निर्धारण

- (1) <sup>2</sup> वैयक्तिक ऋण आस्तियों का आस्ति वर्गीकरण और इसके परिणामस्वरूप प्रावधानीकरण की आवश्यकता भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 के अनुसार होगी।]
- (2) लागू की गई डीएलजी की राशि को अंतर्निहित व्यक्तिगत ऋणों के मुकाबले समंजित नहीं किया जाएगा, अर्थात् अंतर्निहित ऋण के संबंध में उधारकर्ताओं की देयता प्रभावित नहीं रहेगी।
- (3) एनबीएफसी द्वारा वसूली, यदि कोई हो, उन ऋणों से जिन पर डीएलजी लागू और वसूली की गई है, संविदात्मक व्यवस्था के संदर्भ में डीएलजी प्रदाता के साथ साझा की जा सकती है।
- (4) एनबीएफसी द्वारा एक बार लागू की जाने वाली डीएलजी राशि को ऋण वसूली सहित बहाल नहीं किया जाएगा।

## 26. विनियामक पूंजी के लिए डीएलजी का ट्रीटमेंट

- (1) पूंजी की गणना, यानी पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत ऋण आस्तियों पर ऋण जोखिम न्यूनीकरण लाभों की गणना और अनुप्रयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 द्वारा शासित होना जारी रहेगा।
- (2) यदि डीएलजी प्रदाता एक एनबीएफसी है, तो यह अपनी पूंजी से बकाया डीएलजी की पूरी राशि काट लेगा।

<sup>2</sup> दिनांक 13 फरवरी, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - ऋण सुविधाएँ) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 13 फरवरी, 2026 से प्रतिस्थापित।

## 27. डीएलजी का लागू होना और उसकी अवधि

- (1) एनबीएफसी अधिकतम 120 दिनों की अतिदेय अवधि के भीतर डीएलजी लागू करेगा, जब तक कि उससे पहले उधारकर्ता द्वारा ऋण बकाया को चुकाया न जाए।
- (2) वह अवधि जिसके लिए डीएलजी करार लागू रहता है, अंतर्निहित ऋण पोर्टफोलियो में ऋण की सबसे लंबी अवधि से कम नहीं होगी।

## 28. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

- (1) एनबीएफसी एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिन एलएसपी के साथ उनकी डीएलजी व्यवस्था है, वे अपनी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो की कुल संख्या और प्रत्येक पोर्टफोलियो की संबंधित राशि को प्रकाशित करेंगे जिस पर डीएलजी की पेशकश की गई है। इस प्रावधान के तहत प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में ऋणदाता (ऋणदाताओं) के नाम का खुलासा किया भी जा सकता है और नहीं भी।
- (2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के तहत प्रकटीकरण मासिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें किसी भी महीने की जानकारी उस महीने की समाप्ति के सात (7) कार्य दिवसों के अंदर प्रदान किया जाएगा।

## 29. अपवाद

निम्नलिखित योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत आने वाली गारंटियों को डीएलजी की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा:

- (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत व्यक्तिगत योजनाएं।
- (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण गारंटी।

## एफ. सामान्य प्रावधान

### 30. सामान्य प्रावधान

- (1) क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई प्रोग्राम विशेष तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – क्रेडिट कार्ड: जारी करना और संचालन) निदेश, 2025 के तहत आते हैं। ऐसे लेनदेन इन निदेशों के दायरे में नहीं आएँगे। हालाँकि, क्रेडिट कार्ड पर दिए जाने वाले अन्य ऋण उत्पाद, जो ऊपर बताए

गए मास्टर निदेश के दायरे में नहीं आते या उसमें शामिल नहीं हैं, वे डिजिटल उधार पर इस अध्याय में निर्धारित शर्तों के तहत संचालित होंगे।

- (2) इस अध्याय में निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप एनबीएफसी और उनके एलएसपी के बीच निष्पादित डीएलजी व्यवस्थाओं को न तो [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - प्रतिभूतिकरण लेनदेन\) निदेश, 2025](#) के तहत परिभाषित "संश्लिष्ट प्रतिभूतिकरण" माना जाएगा, और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित 'ऋण सहभागिता' के प्रावधान लागू होंगे।

## अध्याय IV – सोने और चांदी के संपार्श्विक पर उधार

पृष्ठभूमि: रिज़र्व बैंक ने व्यापक समष्टि-विवेकपूर्ण चिंताओं की वजह से तथा सोने की सट्टेबाजी वाली और अनुत्पादक प्रकृति के कारण; प्राथमिक स्वर्ण, जैसे बुलियन सोना, के एवज में दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यद्यपि, उधारकर्ताओं की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, एनबीएफसी को सोने के आभूषणों, गहनों और सिक्कों की संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले में ऋण देने की अनुमति दी गई है। वर्तमान विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, उधारकर्ताओं को निष्क्रिय पड़े सोने के आभूषणों, गहनों या सिक्कों का लाभ उठाकर अपनी तंग चलनिधि की स्थिति से उबरने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्देशित हैं, साथ ही वे उधारदाताओं के जोखिमों का समाधान भी करते हैं। चांदी की संपार्श्विक के एवज में ऋण देने से संबंधित अतीत में जारी किए गए कुछ विनियम भी इसी प्रकार की चिंताओं और उद्देश्यों से निर्देशित होते हैं।

31. <sup>3</sup>[\*\*\*\*\*]

### ए. सामान्य प्रावधान

32. 'बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों' के अध्याय II की अपेक्षानुसार, एनबीएफसी की ऋण नीति (जिसे इसके बाद 'नीति' कहा जाएगा) में अन्य बातों के साथ-साथ सोने या चांदी से बने आभूषणों, गहनों या सिक्कों (इस अध्याय के लिए "पात्र संपार्श्विक") के संपार्श्विक के एवज में दिए जाने वाले ऋणों के पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त एकल उधारकर्ता सीमा और समग्र सीमा; ऐसे ऋण के लिए अनुमति योग्य अधिकतम एलटीवी अनुपात; एलटीवी अनुपात का उल्लंघन होने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई; मूल्यांकन के मानक एवं मानदंड; और सोने तथा चांदी की शुद्धता के मानक शामिल होंगे। इस नीति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋणों के लिए उपयुक्त दस्तावेज़ प्राप्त करना और बनाए रखना भी शामिल होंगे।

33. 'आनुपातिकता के सिद्धांत' और 'छोटी राशि के ऋणों की सुलभता' को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी अपने ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे में 'पात्र संपार्श्विक' के बदले में ऋण देने के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण को सम्मिलित कर सकता है। हालांकि, यदि किसी उधारकर्ता को 'पात्र संपार्श्विक' के बदले में दिया गया कुल ऋण राशि ₹2.5 लाख से अधिक हो, तो ऐसे ऋण का एक विस्तृत ऋण मूल्यांकन उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के मूल्यांकन सहित किया जाएगा।

---

<sup>3</sup> 1 अप्रैल, 2026 से हटा दिया गया ।

बशर्ते कि एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण के मामले में, 'परिपक्वता पर देय कुल राशि' ही विस्तृत ऋण मूल्यांकन के लिए सीमा ऋण राशि होगी।

34. उधारकर्ता के औपचारिक अनुरोध पर एनबीएफसी पैराग्राफ 33 के अनुसार ऋण मूल्यांकन करने के पश्चात मौजूदा ऋण का नवीनीकरण कर सकता है या टॉप-अप ऋण स्वीकृत कर सकता है। इस प्रकार के नवीनीकरण या टॉप-अप की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वह ऋण स्वीकार्य एलटीवी सीमा के भीतर हो और 'मानक ऋण' के रूप में वर्गीकृत हो। इसके अलावा, एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण के नवीनीकरण की अनुमति उपार्जित ब्याज (यदि कोई हो) के भुगतान के बाद ही दी जाएगी। एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के नवीनीकरण और टॉप-अप अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली या ऋण प्रसंस्करण प्रणाली में स्पष्ट रूप से पहचान योग्य हों।

## **बी. प्रतिबंध और सीमाएं**

35. कोई भी एनबीएफसी निम्नलिखित के लिए कोई अग्रिम या ऋण प्रदान नहीं करेगा:

- (1) प्राथमिक स्वर्ण, आभूषणों, गहनों या सिक्कों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए, या सोने द्वारा समर्थित वित्तीय आस्तियों की खरीद के लिए, जैसे कि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां या म्यूचुअल फंड की इकाइयां; और
- (2) प्राथमिक स्वर्ण या चांदी या प्राथमिक स्वर्ण या चांदी द्वारा समर्थित वित्तीय आस्तियों के एवज में।

36. एनबीएफसी ऐसे ऋण प्रदान नहीं करेगा जहाँ संपार्श्विक का स्वामित्व संदिग्ध हो। ऋण के सभी मामलों में उधारकर्ता से एक उपयुक्त दस्तावेज़ या घोषणा प्राप्त की जाएगी कि उधारकर्ता 'पात्र संपार्श्विक' का वैध स्वामी है। वैसे ऋणों की जांच धन-शोधन निवारण (एएमएल) ढांचे के तहत लेनदेन निगरानी के हिस्से के रूप में कड़ाई से की जानी चाहिए, जो कि एक ही उधारकर्ता को पात्र संपार्श्विक के एवज में एकाधिक या बार-बार स्वीकृत किए गए हों और जिनकी कुल राशि उधारदाता द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो।

37. कोई एनबीएफसी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

- (1) अपने उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखे गए सोने या चांदी को पुनः गिरवी रखकर ऋण लेना।
- (2) अन्य उधारदाताओं, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा उनके उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखे गए सोना या चांदी की संपार्श्विक को स्वीकार करके उन उधारदाताओं, संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना।

संदेह के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान किसी उधारदाता को अंतर्निहित प्राप्य राशियों की प्रतिभूति के आधार पर किसी अन्य उधारदाता को वित्तपोषित करने से नहीं रोकता है।

38. एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण की प्रकृति वाले उपभोग ऋणों की अवधि अधिकतम 12 महीने होगी, जिसे पैराग्राफ 34 के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है।
39. आभूषणों और सिक्कों के बदले में ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
- (1) उधारकर्ता को दिए गए सभी ऋणों के लिए गिरवी रखे गए आभूषणों का कुल वजन सोने के आभूषणों के लिए 1 किलोग्राम और चांदी के आभूषणों के लिए 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।
  - (2) उधारकर्ता के सभी ऋणों के लिए गिरवी रखे गए सिक्कों का कुल वजन सोने के सिक्कों के मामले में 50 ग्राम और चांदी के सिक्कों की स्थिति में 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

### **सी. सोने और चांदी की संपार्श्विक का मूल्यांकन और परख**

40. संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किए गए सोने या चांदी का मूल्यांकन उनकी वास्तविक शुद्धता (कैरेट) के अनुरूप संदर्भ कीमत के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उसका उपयोग किया जाएगा – (ए) पिछले 30 दिनों के दौरान उस विशिष्ट शुद्धता के सोने या चांदी, जो लागू हो, का औसत समापन मूल्य, या (बी) उस विशिष्ट शुद्धता के सोने या चांदी, जो लागू हो, का पिछले दिन का समापन मूल्य, जो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किसी पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा प्रकाशित हो।
41. मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए यदि वांछित शुद्धता वाले मूल्य की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो उधारदाता निकटतम उपलब्ध शुद्धता के लिए प्रकाशित मूल्य और संपार्श्विक की वास्तविक शुद्धता के आधार पर संपार्श्विक के वजन को आनुपातिक रूप से समायोजित करेगा।
42. मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, 'पात्र संपार्श्विक' में निहित सोने या चांदी के केवल अंतर्निहित मूल्य की ही गणना की जाएगी और इसमें कोई अन्य लागत तत्व, जैसे कि कीमती पत्थर या रत्न, नहीं जोड़े जाएंगे।

### **डी. ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी)**

43. 'पात्र संपार्श्विक' के एवज में दिये गए उपभोग ऋण के लिए अधिकतम एलटीवी अनुपात नीचे दी गई तालिका में दिए गए एलटीवी अनुपात से अधिक नहीं होगा:

| प्रति उधारकर्ता कुल उपभोग ऋण की राशि | अधिकतम एलटीवी अनुपात |
|--------------------------------------|----------------------|
| $\leq ₹2.5$ लाख                      | 85 प्रतिशत           |
| $> ₹2.5$ लाख व $\leq ₹5$ लाख         | 80 प्रतिशत           |
| $> ₹5$ लाख                           | 75 प्रतिशत           |

**स्पष्टीकरण:** इस संदर्भ में किसी दिन के 'ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात' का अर्थ है उस दिन गिरवी रखे गए 'पात्र संपार्श्विक' या प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, के मूल्य से बकाया ऋण राशि का अनुपात है। हालांकि, एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण के मामले में, एलटीवी की गणना और ऋण राशि की गणना में परिपक्वता पर देय कुल राशि को लिया जाएगा।

44. ऋण की अवधि के दौरान निर्धारित एलटीवी अनुपात को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा।

### ई. अन्य प्रावधान

45. आचरण से संबंधित पहलुओं और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए, एनबीएफसी, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - जिम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों द्वारा निर्देशित होगा।

46. एनबीएफसी आमतौर पर उधारकर्ता के बैंक खाते में ऋण वितरित करेगा। एनबीएफसी, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 का पालन करेगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 एसएस और 269 टी के प्रावधानों तथा संबंधित नियमों, जो भी लागू हों, का पालन किया जाएगा।

47. बैंक अंतरण के मामले में, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि:

(1) ऋण का संवितरण केवल उधारकर्ता के खाते में किया जाए, किसी तीसरे पक्ष के खाते में नहीं।

अपवाद:

- (i) ऐसे अनन्य संवितरण जो किसी सांविधिक या विनियामक अधिदेश (आरबीआई या किसी अन्य विनियामक का) के तहत दिये गए हो,
- (ii) सह-ऋण लेनदेन के लिए उधारदाताओं के बीच धन का प्रवाह, और
- (iii) विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए संवितरण, बशर्ते कि ऋण सीधे अंतिम-लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित किया जाए।

(2) ऋण चुकौती, पुनर्भुगतान आदि का कार्यान्वयन, किसी तीसरे पक्ष के पास-थ्रू खाते या पूल खाते के उपयोग के बिना, उधारकर्ता द्वारा सीधे एनबीएफसी के खाते में किया जाए।

48. किसी एक उधारकर्ता या संबंधित उधारकर्ताओं के समूहों को एक ही समय पर अनेक ऋण देने से ऋण के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की प्रवणता बढ़ सकती है। इसलिए, ऐसी कार्य-पद्धतियाँ सख्त आंतरिक लेखापरीक्षा और पर्यवेक्षी जांच के योग्य होंगी।
49. एनबीएफसी प्रकटीकरण संबंधी अनुदेशों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों से निर्देशित होगा।
50. सभी एनबीएफसी को अपनी तुलन-पत्र में अपनी कुल आस्ति की तुलना में इन संपार्श्विक के बदले दिए गए ऋण का प्रतिशत, सोने और चांदी के लिए अलग-अलग, बताना होगा।

## अध्याय V – सूक्ष्म-वित्त ऋण

51. सूक्ष्म-वित्त ऋण एक संपार्श्विक-मुक्त ऋण है जो ₹3,00,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार को दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, परिवार का अर्थ एक एकल परिवार इकाई होगा, अर्थात् पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। साथ ही, अंतिम उपयोग और आवेदन / प्रसंस्करण / वितरण के तरीके (चाहे भौतिक या डिजिटल माध्यमों से) चाहे जो हो, कम आय वाले परिवारों, यानी ₹3,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रदान किए जाने वाले सभी संपार्श्विक-मुक्त ऋणों को सूक्ष्म-वित्त ऋण माना जाएगा। इसके अलावा, सूक्ष्म-वित्त ऋण की संपार्श्विक-मुक्त प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए, ऋण उधारकर्ता के जमा खाते पर किसी पुनर्ग्रहणाधिकार से जुड़ा नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रतिभूति के दृष्टिबंधक द्वारा समर्थित नहीं होना चाहिए।

### ए. पारिवारिक आय का मूल्यांकन

52. एनबीएफसी, पारिवारिक आय के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा। पारिवारिक आय के मूल्यांकन के लिए सांकेतिक पद्धति नीचे दी गई है:

(1) कम आय वाले परिवार की आय का मूल्यांकन करने के लिए, ऋणदाता द्वारा निम्नलिखित मापदंडों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा सकती है:

(i) पारिवारिक प्रोफ़ाइल का आकलन करने के मापदंड

(ए) परिवार की संरचना

- i. अर्जक सदस्यों की संख्या
- ii. अनर्जक सदस्यों की संख्या

(बी) आवास का प्रकार (स्वयं / किराए का, आदि)

(सी) बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता (बिजली, पानी, शौचालय, सीवेज, एलपीजी कनेक्शन, आदि)

(डी) अन्य आस्तियों की उपलब्धता (भूमि, पशुधन, वाहन, फर्नीचर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आदि)

(ii) पारिवारिक आय का आकलन करने के मापदंड

(ए) आय का प्राथमिक स्रोत

- i. कार्य क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियां, व्यापार, विनिर्माण, सेवाएं, आदि)

- ii. कार्य की प्रकृति (स्वरोजगार या वेतनभोगी, नियमित या मौसमी, आदि)
- iii. आय की आवृत्ति (दैनिक / साप्ताहिक / मासिक)
- iv. पिछले एक वर्ष में रोजगार के महीने / दिन
- v. स्व-घोषित मासिक आय
- vi. औसत मासिक आय (उपरोक्त (iv) और (v) से प्राप्त की जाने वाली)

(बी) आय के अन्य स्रोत

- i. विप्रेषण
- ii. किराया / पट्टा
- iii. पेंशन
- iv. सरकारी अंतरण
- v. छात्रवृत्ति
- vi. अन्य (विवरण निर्दिष्ट करें)

(सी) ऊपर बताए अनुसार आय का मूल्यांकन सभी अर्जक सदस्यों के लिए आय के सभी स्रोतों (प्राथमिक या द्वितीयक) के संबंध में किया जाए। सभी स्रोतों से सभी सदस्यों की आय का आकलन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि आय की दोहरी गिनती न हो, जैसे कि एक प्रवासी सदस्य की वेतन आय को परिवार के लिए विप्रेषण आय के रूप में भी गिनना।

(डी) हालांकि आय की गणना मासिक आधार पर की जा सकती है, लेकिन पारिवारिक आय की स्थिरता का पता लगाने के लिए सभी सदस्यों और स्रोतों के आय का आकलन न्यूनतम एक वर्ष की अवधि में किया जा सकता है।

(iii) पारिवारिक खर्चों का आकलन करने के मापदंड

(ए) नियमित मासिक खर्च (भोजन, उपयोगी सेवाएँ, परिवहन, मकान / दुकान का किराया, कपड़े, नियमित चिकित्सा लागत, स्कूल / कॉलेज की फीस, आदि)

(बी) पिछले एक वर्ष में अनियमित खर्च (चिकित्सा व्यय, मकान का पुनरुद्धार, घरेलू सामान की खरीद, समारोह आदि)

- (2) ऊपर 1(ii) में स्व-घोषित आय की पुष्टि 1(i) में पारिवारिक प्रोफ़ाइल और 1(iii) में पारिवारिक खर्चों से की जा सकती है। इसके अलावा, पारिवारिक आय का सत्यापन अन्य स्रोतों (उधारकर्ताओं के बैंक खाता विवरण, समूह के सदस्यों, आसपास के अन्य संदर्भों, आदि) से भी किया जा सकता है।
53. स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) और अन्य संघ / एजेंसियां भी सांकेतिक पद्धति के आधार पर एक साझा ढांचा विकसित कर सकते हैं। एनबीएफसी अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस ढांचे को उपयुक्त रूप से अपना सकता है / संशोधित कर सकता है।
54. एनबीएफसी अनिवार्य रूप से पारिवारिक आय के संबंध में जानकारी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को प्रस्तुत करेगा। सीआईसी में मूल्यांकित घरेलू आय को अपडेट करने से पहले, पहले से रिपोर्ट की गई पारिवारिक आय और मूल्यांकित पारिवारिक आय के बीच किसी भी अंतर का कारण उधारकर्ता(ओं) से विशेष रूप से पता किया जाएगा।

## **बी. परिवार के ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर सीमा**

55. मासिक पारिवारिक आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण होने वाले बहिर्वाह की सीमा के संबंध में एनबीएफसी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। यह मासिक पारिवारिक आय के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगी।
- स्पष्टीकरण:* सूक्ष्म-वित्त ऋण द्वारा वित्तपोषित आस्ति/गतिविधि से भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित आय को परिवार की ऋणग्रस्तता की गणना के उद्देश्य से पारिवारिक आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
56. ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों की गणना में परिवार के सभी बकाया ऋणों (संपार्श्विक-मुक्त सूक्ष्म-वित्त ऋण के साथ-साथ किसी भी अन्य प्रकार के संपार्श्विक ऋण) को ध्यान में रखा जाएगा। मासिक पारिवारिक आय के 50 प्रतिशत पर सीमित बहिर्वाह में सभी मौजूदा ऋणों के साथ-साथ विचाराधीन ऋण के प्रति पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज घटक सहित) शामिल होंगे।
57. ऐसे मौजूदा ऋण, जिनके लिए किसी परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण होने वाला बहिर्वाह मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, उन्हें परिपक्व होने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जब तक 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का पालन नहीं किया जाता, तब तक इन परिवारों को कोई नया ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा।
58. एनबीएफसी सीआईसी को समय पर और सटीक डेटा प्रदान करेगा और ऋणग्रस्तता के स्तर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास उपलब्ध डेटा का उपयोग करेगा। इसके अलावा,

एनबीएफसी अन्य स्रोतों जैसे उधारकर्ताओं से घोषणा, उनके बैंक खाते के विवरण और स्थानीय पूछताछ से भी इसकी पुष्टि करेगा।

### **सी. पुनर्भुगतान की आवधिकता में छूट**

59. एनबीएफसी के पास उधारकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म-वित्त ऋणों पर पुनर्भुगतान की आवधिकता में छूट प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

### **डी. सूक्ष्म-वित्त ऋण का मूल्य-निर्धारण**

60. एनबीएफसी को सूक्ष्म-वित्त ऋण के मूल्य-निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगी:

- (1) सर्व-समावेशी ब्याज दर तय करने के लिए एक विधिवत प्रलेखित ब्याज दर मॉडल / दृष्टिकोण।
- (2) वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर प्रत्येक घटक जैसे निधि की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन आदि की मात्रा के संदर्भ में ब्याज दर के घटकों का स्पष्ट विवरण।
- (3) उधारकर्ता की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रत्येक घटक के स्प्रेड की सीमा।
- (4) सूक्ष्म-वित्त ऋण पर लागू ब्याज दर और अन्य सभी प्रभावों की उच्चतम सीमा।

61. सूक्ष्म-वित्त ऋण पर ब्याज दरें और अन्य प्रभार/शुल्क बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। ये रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी संवीक्षा के अधीन होंगे।

### **ई. सूक्ष्म-वित्त ऋण से संबंधित अन्य पहलू**

62. सूक्ष्म-वित्त ऋण प्रदान करने वाला एनबीएफसी निम्नलिखित का भी संदर्भ लेगा:

- (1) मुख्य तथ्य विवरण से संबंधित अनुदेशों और सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं के प्रति आचरण पर दिशानिर्देशों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी - जिम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश, 2025
- (2) आउटसोर्स की गई गतिविधियों की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुदेशों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी – अन्य-पक्ष निर्भरता का प्रबंधन) निदेश, 2025

## अध्याय VI - परियोजना वित्त

### ए. प्रस्तावना

63. इस अध्याय में निहित निदेश एनबीएफसी द्वारा अवसंरचनात्मक और गैर-अवसंरचनात्मक (वाणिज्यिक भूसंपदा और वाणिज्यिक भूसंपदा – रिहायशी आवास सहित) क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा प्रदान करते हैं।
64. इस अध्याय में निहित निदेश उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जहाँ 1 अक्टूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार (इस अध्याय के लिए 'प्रभावी तिथि') वित्तीय पूर्णता प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित परियोजना वित्त पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश लागू होंगे, जिन्हें अन्यथा निरस्त माना जाएगा। हालांकि, प्रभावी तिथि के बाद ऐसी परियोजनाओं में ऋण संविदा में किसी नए ऋण घटना और/या महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों में परिवर्तन का कोई भी समाधान [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान\) निदेश, 2025](#) के तहत दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

### बी. सामान्य दिशानिर्देश

#### बी.1. परियोजनाओं के चरण

65. इस अध्याय में निहित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के लागू करने के प्रयोजन के लिए, परियोजनाओं को मोटे तौर पर तीन चरणों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्:
- (1) डिजाइन चरण - यह पहला चरण है जो परियोजना की उत्पत्ति से शुरू होता है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, डिजाइनिंग, योजना बनाना, इसके वित्तीय पूर्णता तक सभी लागू स्वीकृतियाँ/अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है।
  - (2) निर्माण चरण - यह दूसरा चरण है जो वित्तीय पूर्णता के बाद शुरू होता है और वास्तविक डीसीसीओ से ठीक पहले दिन समाप्त होता है।
  - (3) परिचालन चरण - यह अंतिम चरण है जो वास्तविक डीसीसीओ के दिन परियोजना द्वारा वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत के साथ शुरू होता है और परियोजना वित्त एक्सपोजर के पूर्ण चुकौती के साथ समाप्त होता है।

## बी.2. मंजूरी से संबंधित विवेकपूर्ण शर्तें

66. एनबीएफसी की ऋण नीति में इन निदेशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना वित्त एक्सपोजर की मंजूरी के लिए उपयुक्त खंड शामिल होंगे।

67. ऋणदाता द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के लिए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- (1) निधि के संवितरण से पहले वित्तीय पूर्णता प्राप्त कर लिया गया है और मूल डीसीसीओ को स्पष्ट रूप से बताया गया है और प्रलेखित किया गया है।
- (2) ऋण करार में परियोजना के पूरा होने के चरण की तुलना में परियोजना विशिष्ट संवितरण अनुसूची शामिल है।
- (3) डीसीसीओ के बाद की चुकौती अनुसूची को प्रारंभिक नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी रूप से डिजाइन किया गया है।

*बशर्ते कि*, मूल या संशोधित चुकौती अवधि, जिसमें स्थगन अवधि, यदि कोई हो, शामिल है, किसी परियोजना के आर्थिक जीवन के 85 प्रतिशत से अधिक न हो।

68. किसी निर्धारित परियोजना के लिए, मूल / विस्तारित / वास्तविक डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, परियोजना के सभी ऋणदाताओं में समान होगा।

69. निर्माणाधीन परियोजनाओं में जहाँ ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹1,500 करोड़ तक है, किसी भी व्यक्तिगत ऋणदाता का ऐसा एक्सपोजर नहीं होगा जो कुल एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से कम हो। उन परियोजनाओं के लिए जहाँ सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹1,500 करोड़ से अधिक है, व्यक्तिगत ऋणदाता के लिए न्यूनतम एक्सपोजर सीमा 5 प्रतिशत या ₹150 करोड़, जो भी अधिक हो, होगा।

*बशर्ते कि*, उपर्युक्त न्यूनतम एक्सपोजर आवश्यकताएं वास्तविक डीसीसीओ के बाद लागू नहीं होंगी और [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण\) निदेश, 2025](#) में निहित दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऋणदाता अन्य ऋणदाताओं से एक्सपोजर का अधिग्रहण कर सकता है या अन्य ऋणदाताओं को बेच सकता है। वास्तविक डीसीसीओ से पहले, ऋणदाता संश्लिष्ट व्यवस्था के तहत (जैसा कि [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण\) निदेश, 2025](#) में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्य ऋणदाता से एक्सपोजर का अधिग्रहण कर सकता है या बेच सकता है, बशर्ते व्यक्तिगत ऋणदाता का हिस्सा ऊपर बताई गई सीमाओं के दायरे में हो।

70. एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना को लागू करने/निर्माण करने के लिए सभी लागू अनुमोदन/स्वीकृतियाँ वित्तीय पूर्णता से पहले प्राप्त किए जाएं। ऐसे पूर्व-आवश्यक अनुमोदनों/स्वीकृतियों की एक सांकेतिक सूची में पर्यावरण मंजूरी, कानूनी मंजूरी, विनियामक मंजूरी आदि शामिल हैं, जो परियोजना पर लागू होती हैं।

4[स्पष्टीकरण: जहां किसी परियोजना को कई स्वतंत्र व्यवहार्य इकाइयों के रूप में परिचालित किया जाना संभव हो, वहाँ एनबीएफसी अपने विवेकानुसार ऐसी स्वतंत्र इकाइयों को अलग-अलग परियोजनाओं के रूप में वित्तपोषित कर सकता है जिनका अपना वित्तीय क्लोजर हो, बशर्ते कि प्रत्येक इकाई का उसकी स्वतंत्र व्यवहार्यता के लिए पूर्व-मूल्यांकन किया गया हो।]

71. अनुमोदन/ स्वीकृतियाँ जो परियोजना को पूरा करने के संदर्भ में कुछ मील के पथर प्राप्त करने पर निर्भर हैं, उन्हें केवल तभी लागू माना जाएगा जब ऐसे मील के पथर प्राप्त कर ली जाएंगी। उदाहरण के लिए, बॉयलर को संचालित करने के लिए सहमति केवल बॉयलर के निर्माण के बाद ही लागू की जा सकती है। इसलिए, इसे वित्तीय पूर्णता के समय एक लागू अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता के रूप में नहीं माना जाएगा।

### **सी. संवितरण और निगरानी से संबंधित विवेकपूर्ण शर्तें**

72. एनबीएफसी निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं के अधीन, धन के संवितरण से पहले सभी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि / राइट ऑफ वे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा:

- (1) पीपीपी मॉडल के तहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए - 50 प्रतिशत
- (2) अन्य सभी परियोजनाओं के लिए (गैर- पीपीपी अवसंरचना, और सीआरई एवं सीआरई-आरएच सहित गैर- अवसंरचना) - 75 प्रतिशत
- (3) पारेषण लाइन परियोजनाओं के लिए - एनबीएफसी के निर्णयानुसार

5[स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, विद्युत उत्पादन की उन परियोजनाओं के मामले में जिनके परियोजना दायरे में उत्पादन और पारेषण (निकासी अवसंरचना) दोनों शामिल हैं, पारेषण के लिए राइट ऑफ वे की आवश्यकता उप-पैराग्राफ (3) के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।]

---

<sup>4</sup> दिनांक 15 जुलाई 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – ऋण सुविधाएं) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 के तहत 15 जुलाई 2026 से शामिल किया गया।

<sup>5</sup> दिनांक 15 जुलाई 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – ऋण सुविधाएं) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 के तहत 15 जुलाई 2026 से शामिल किया गया।

73. पीपीपी मॉडल के तहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के मामले में, परियोजना के लिए नियत तिथि या इसके समतुल्य की घोषणा के बाद ही धन का संवितरण शुरू होगा।
74. इसके अलावा, ऊपर पैराग्राफ 73 में उल्लिखित एक्सपोजर के संबंध में, वित्तीय पूर्णता दस्तावेज में प्रलेखित मूल डीसीसीओ को ऋणदाता और देनदार के बीच एक पूरक करार के माध्यम से धन के संवितरण से पहले रियायत देने वाले प्राधिकरण द्वारा 'नियत तिथि' में किसी भी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, जो परियोजना व्यवहार्यता के पुनर्मूल्यांकन और उपयुक्त प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के अध्वधीन होगा। इस उद्देश्य के लिए उन सभी परियोजनाओं के लिए एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन की आवश्यकता होगी जहां सभी ऋणदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ या उससे अधिक है।
75. एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि संवितरण परियोजना के पूरा होने के चरणों के साथ-साथ वित्तीय पूर्णता के हिस्से के रूप में सहमत इक्विटी निवेश और वित्त के अन्य स्रोतों में प्रगति और शेष लागू मंजूरीयों की प्राप्ति के आनुपातिक हो। ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता (एलआईई) / वास्तुकार परियोजना के पूरा होने के चरणों को प्रमाणित करेंगे।
76. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 के संदर्भ में, वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक डीसीसीओ से पहले किसी भी समय किसी परियोजना वित्त खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

## डी. विविध

### डी.1 डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव

77. ऋणदाताओं द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और आसानी से सुलभ प्रारूप में परियोजना विशिष्ट डेटा को निरंतर आधार पर संग्रहित और रखरखाव किया जाएगा। संबंधित मापदंडों की एक सूची जो कम से कम परियोजना वित्त डेटाबेस का हिस्सा होगी, नीचे दी गई है:

| क्रमांक | परियोजना वित्त डेटाबेस के लिए मापदंड                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>देनदार का प्रोफाइल</b><br><br>परियोजना/एसपीवी का नाम, पैन, एलआईई, प्रायोजक के नाम, शेयरधारिता का विवरण, बैंकिंग व्यवस्था, क्षेत्र, उप-क्षेत्र। |
| 2       | <b>मूल परियोजना प्रोफाइल</b>                                                                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | परियोजना की प्रकृति, बाहरी क्रेडिट रेटिंग, आर्थिक जीवन, वित्तीय पूर्णता की तारीख, वाणिज्यिक परिचालन के शुरू होने की मूल तारीख, कुल परियोजना लागत (आईडीसी को छोड़कर), आईडीसी, पूंजी संरचना, डी/ई, डीएससीआर, चुकौती की अवधि, चुकौती शुरू करने की तारीख, चुकौती की आवृत्ति।                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>डीसीसीओ में परिवर्तन</b><br><br>परिवर्तन की तारीख, परिवर्तन का कारण, विस्तारित डीसीसीओ, संशोधित परियोजना ऋण, संशोधित परियोजना कुल लागत, लागत में वृद्धि, अतिरिक्त लागत, इक्विटी द्वारा वित्तपोषित कुल वृद्धि का %, कर्ज द्वारा वित्तपोषित कुल वृद्धि का %, संशोधित डी/ई, संशोधित डीएससीआर, संशोधित चुकौती अवधि, संशोधित चुकौती शुरू करने की तारीख, संशोधित चुकौती आवृत्ति, संशोधित बाहरी क्रेडिट रेटिंग। |
| <b>4</b> | <b>मूल/विस्तारित डीसीसीओ के स्थगन के अलावा अन्य ऋण घटना</b><br><br>परिवर्तन की तारीख, कारण, परियोजना लागत में कुल वृद्धि, इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना लागत का %, कर्ज के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना लागत का %, संशोधित डी/ई, संशोधित डीएससीआर, संशोधित चुकौती अवधि, संशोधित चुकौती शुरू करने की तारीख, संशोधित चुकौती आवृत्ति, संशोधित बाहरी क्रेडिट रेटिंग।                                |
| <b>5</b> | <b>परियोजना के वर्तमान विनिर्देशन</b><br><br>आस्ति वर्गीकरण, मूल/विस्तारित डीसीसीओ, आर्थिक जीवन, बाहरी रेटिंग, कुल बकाया, धारित प्रोविज़न, वर्तमान परियोजना लागत (आईडीसी को छोड़कर), आईडीसी, वर्तमान पूंजी संरचना, डी/ई, डीएससीआर, चुकौती अवधि, चुकौती आवृत्ति।                                                                                                                                             |

78. कोई एनबीएफसी किसी परियोजना वित्त एक्सपोजर के मापदंडों में किसी भी बदलाव को जल्द से जल्द, लेकिन इस तरह के बदलाव के 15 दिनों के अंदर, अद्यतित करेगा। इस संबंध में आवश्यक प्रणाली प्रभावी तिथि के तीन महीने के भीतर लागू की जाएगी।

## **ई. प्रकटीकरण**

79. कोई एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ' के तहत अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करेगा।

## अध्याय VII - आंशिक ऋण वृद्धि

80. मध्यम स्तर और उससे ऊपर की एनबीएफसी, सभी प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट/ विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी किए गए बॉण्ड और ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक का आस्ति आकार के साथ गैर-जमा स्वीकार करने वाली आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए बॉण्ड को आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) प्रदान कर सकती हैं। नगर निगमों द्वारा जारी किए गए बांडों को भी पीसीई प्रदान किया जा सकता है।
81. एनबीएफसी को पीसीई प्रदान करने की अनुमति देने का उद्देश्य जारी किए गए बॉण्ड की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाना है, ताकि कॉर्पोरेट्स को बेहतर शर्तों पर बॉण्ड बाजार से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

### ए. पीसीई सुविधा की प्रमुख विशेषताएँ

82. एनबीएफसी की ऋण नीति में पीसीई जारी करने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे जिनमें पीसीई की मात्रा, हामीदारी मानक, जोखिम आकलन, मूल्य निर्धारण, सीमा निर्धारण आदि जैसे मुद्दे सम्मिलित होंगे।
83. पीसीई एक अधीनस्थ सुविधा होगी जो अप्रतिसंहरणीय आकस्मिक ऋण व्यवस्था के रूप में प्रदान की जाएगी जो बॉण्ड की सर्विसिंग के लिए नकदी प्रवाह में कमी के मामले में ली जाएगी और इस तरह बॉण्ड निर्गम की क्रेडिट रेटिंग में सुधार हो सकता है।
84. इस व्यवस्था के सभी पहलुओं का दस्तावेजीकरण करने वाले स्पष्ट करार पर प्रमोटर (बॉण्ड जारीकर्ता), पीसीई प्रदान करने वाली एनबीएफसी, बॉण्डधारकों (न्यासी के माध्यम से) और परियोजना के अन्य सभी उधारदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस आशय का करार विधिक रूप से बाध्यकारी संविदा की प्रकृति में होगा। इस सुविधा के दस्तावेजीकरण में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाएगा जिनके तहत यह सुविधा ली जाएगी।
85. एकल एनबीएफसी द्वारा पीसीई एक्सपोजर सीमा बॉण्ड निर्गम आकार का 50 प्रतिशत होगी। किसी बॉण्ड निर्गम हेतु पीसीई के लिए पीसीई प्रदाताओं की कुल एक्सपोजर सीमा को भी बॉण्ड निर्गम आकार के 50 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।
86. पीसीई सुविधा बॉण्ड जारी करते समय प्रदान की जाएगी और अपरिवर्तनीय होगी। गारंटी के माध्यम से पीसीई प्रदान नहीं की जा सकती।

87. एनबीएफसी द्वारा पीसीई प्रदान करने का प्रयोजन कारपोरेट बॉण्ड बाजार में व्यापक निवेशक भागीदारी को समर्थ करना है। इसलिए एनबीएफसी उन कारपोरेट बॉण्ड में निवेश नहीं करेंगी, जो रिज़र्व बैंक के किसी विनियमित संस्थाओं द्वारा ऋण वृद्धि प्रदान किए गए। तथापि, वे कारपोरेट/ एसपीवी को अन्य आवश्यकता आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।
88. एनबीएफसी केवल ऐसे बॉण्ड के लिए पीसीई का प्रस्ताव कर सकते हैं जिनकी पूर्व-संवर्धित रेटिंग मान्यता प्राप्त बाहरी क्रेडिट मूल्यांकन संस्थानों (ईसीएआई) द्वारा जारी किए गए "बीबीबी" माइनस से कम नहीं है।
89. पीसीई हेतु पात्र होने के लिए, कॉर्पोरेट बॉण्ड को निरंतर न्यूनतम दो ईसीएआई द्वारा रेटिंग दी जानी चाहिए।
90. प्रारंभिक और अनुवर्ती दोनों रेटिंग रिपोर्टों में एकल साख निर्धारण (स्टैंडअलोन क्रेडिट रेटिंग) (अर्थात, पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेटिंग) के साथ-साथ वर्धित साख निर्धारण (पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए) का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।
91. जब तक परियोजना ऋण के लिए एनबीएफसी का एक्सपोजर मानक के रूप में वर्गीकृत है और उधारकर्ता किसी वित्तीय संकट (वित्तीय कठिनाई के संकेतों की सांकेतिक सूची के लिए [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान\) निदेश, 2025](#) का संदर्भ लें) में नहीं है, तब तक बॉण्ड निर्गम की रेटिंग बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक रूप से मूल्यांकित पीसीई प्रदान करना, जिसकी आय पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, एनबीएफसी के परियोजना ऋण को प्रतिस्थापित करती है, पुनर्चना नहीं माना जाएगा।
92. पीसीई केवल बॉण्ड की सर्विसिंग के लिए उपलब्ध होगा, किसी अन्य प्रयोजन (जैसे कॉर्पोरेट द्वारा अतिरिक्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए निधि उपलब्ध कराना, परियोजना लागत का कुछ हिस्सा वहन करना या कॉर्पोरेट के आवर्ती खर्चों को पूरा करना अथवा परियोजना के अन्य ऋणदाताओं/लेनदारों को सेवा प्रदान करना आदि) के लिए नहीं, चाहे बॉण्ड धारकों के संबंध में अन्य लेनदारों के दावों की वरिष्ठता कुछ भी हो।
93. यदि पीसीई सुविधा आंशिक रूप से आहरित की जाती है और उस पर ब्याज अर्जित होता है, तो भुगतान न किए गए अर्जित ब्याज को आहरण हेतु उपलब्ध शेष राशि की गणना से बाहर रखा जाएगा।
94. वाटरफॉल तंत्र में, ऋण वृद्धि (सीई) केवल आकस्मिक स्थिति में ही आहारित की जाती है जिसमें ऋण/ बॉण्ड आदि की सर्विसिंग के लिए नकदी प्रवाह की कमी होती है, न कि सामान्य कार्य प्रणाली में। अतः

इस तरह की घटना परियोजना के वित्तीय संकट का संकेत है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, आकस्मिक पीसीई सुविधा की आहरित किश्त को आहरण की तिथि (देय तिथि) से 30 दिनों के भीतर चुकाना होगा। यदि यह सुविधा देय तिथि से 90 दिन अथवा उससे अधिक समय तक बकाया रहती है तो इसे एनपीए माना जाएगा तथा सामान्य आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार इसका प्रावधान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता को दी जाने वाली एनबीएफसी की अन्य सुविधाएं भी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

95. पीसीई प्रदान करने वाली एनबीएफसी निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाओं का पालन करेगी:

- (1) किसी एकल प्रतिपक्षकार अथवा प्रतिपक्षकार समूह के लिए किसी एनबीएफसी द्वारा पीसीई एक्सपोजर, एनबीएफसी पर लागू समग्र विनियामक एक्सपोजर सीमा के भीतर होगा।
- (2) किसी एनबीएफसी का कुल पीसीई एक्सपोजर उसकी टियर 1 पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

## **बी. एनबीएफसी के बॉण्ड को पीसीई प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शर्तें**

96. एनबीएफसी द्वारा जारी बॉण्ड की अवधि, जिसके लिए पीसीई प्रदान की जाती है, तीन वर्ष से कम नहीं होगी।
97. एनबीएफसी से पीसीई द्वारा समर्थित बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग केवल एनबीएफसी के मौजूदा कर्ज के पुनर्वित्तीयन के लिए किया जाएगा। एनबीएफसी निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र संचालित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम उपयोग की स्थिति पूरी हो गई है।
98. ऐसे प्रत्येक एनबीएफसी द्वारा जारी बॉण्ड के लिए पीसीई के माध्यम से एनबीएफसी का एक्सपोजर विद्यमान एकल/ समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमाओं के भीतर आरई की पूंजीगत निधियों के एक प्रतिशत तक सीमित होगा।

## **सी. पीसीई के अन्य पहलू**

99. बॉण्ड रेटिंग पर पीसीई के प्रभाव का प्रकटीकरण बॉण्ड प्रस्ताव दस्तावेज में किया जाएगा, अर्थात् पीसीई के बिना और पीसीई के साथ बॉण्ड की रेटिंग का प्रकटीकरण किया जाएगा।
100. एनबीएफसी सुनिश्चित करेंगी कि बॉण्ड निर्गम से सृजित परियोजना आस्तियां, जिसके लिए उनके द्वारा पीसीई प्रदान किया गया है, तथा परियोजना से होने वाले नकदी प्रवाह को बॉण्ड ट्रस्टी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासित एस्क्रो खाता तंत्र के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। परियोजना आस्तियों में प्रतिभूति हित को परियोजना के ऋणदाताओं, बॉण्ड धारकों और पीसीई प्रदान करने वाली एनबीएफसी द्वारा किस प्रकार

साझा किया जाएगा तथा ऋण, यदि कोई हो, और बॉण्ड एवं पीसीई की सर्विसिंग के लिए परियोजना नकदी प्रवाह को किस प्रकार साझा किया जाएगा, इसका निर्णय बॉण्ड जारी करने से पहले लिया जाएगा तथा इस पर सहमति बनाई जाएगी और इसे उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

101. ऋण वृद्धि को ध्यान में रखे जाने से पहले ही परियोजना का वित्तीय ढांचा मजबूत और व्यवहार्य होना चाहिए। तथापि, पीसीई प्रदान करते समय, एनबीएफसी को समुचित सावधानी और क्रेडिट मूल्यांकन करना होगा, जिसमें स्वयं का आंतरिक क्रेडिट विश्लेषण/ रेटिंग करना भी शामिल है।
102. संबंधित उधारकर्ता की ऋण सुविधाओं के आस्ति वर्गीकरण पर ध्यान दिए बिना, एनबीएफसी द्वारा पूर्ण पीसीई प्रतिबद्धता का पालन किया जाएगा।
103. जब तक कि इन निदेशों में अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, एनबीएफसी द्वारा ऋण और निवेश एक्सपोजर के लिए सभी विद्यमान विनियामक निदेश लागू होते रहेंगे।

## अध्याय VIII – अन्य विनियामक प्रतिबंध

### ए. आईपीओ वित्तपोषण पर उच्चतम सीमा

104. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में अभिदान के वित्तपोषण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ की उच्चतम सीमा होगी। एनबीएफसी अधिक परिमित सीमाएं तय कर सकती है।

### बी. एनबीएफसी के अपने ही शेयरों के बदले ऋण

105. एनबीएफसी अपने ही शेयरों के बदले ऋण नहीं देगी।

### सी. शेयरों की प्रतिभूति के बदले ऋण

106. ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी सूचीबद्ध शेयरों की संपार्श्विक के बदले ऋण देते समय निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेंगी:

- (1) शेयरों की संपार्श्विक के बदले दिए गए ऋणों के लिए 50 प्रतिशत का एलटीवी अनुपात बनाए रखें। 50 प्रतिशत का एलटीवी अनुपात हर समय बनाए रखना आवश्यक है। शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण 50 प्रतिशत एलटीवी बनाए रखने में होने वाली किसी भी कमी को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (2) ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का भी अनुपालन करेंगी:
  - (i) उन मामलों में जहां पूंजी बाजार में निवेश के लिए ऋण दिया जा रहा है, वहाँ ₹5 लाख से अधिक मूल्य के ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में केवल ग्रुप 1 प्रतिभूतियों (सेबी द्वारा जारी दिनांक 11 मार्च, 2003 के एसएमडी/पॉलिसी/परिपत्र - 9/2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट) को ही स्वीकार करें, जो रिज़र्व बैंक की समीक्षा के अध्वधीन होगा।
  - (ii) ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा उनके पक्ष में गिरवी रखे गए शेयरों की जानकारी अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में त्रैमासिक आधार पर शेयर बाजारों को ऑनलाइन रिपोर्ट करें।

### डी. मांग / शीघ्रावधि मांग ऋण

107. मांग / शीघ्रावधि मांग ऋण प्रदान करने वाली एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगी:

- (1) एक निर्दिष्ट तिथि जिसके भीतर मांग या शीघ्रावधि मांग ऋण की चुकौती की मांग की जाएगी या उसे वापस मांगा जाएगा।

- (2) यदि ऐसे ऋण की मांग करने या वापस मांगने की निर्दिष्ट तिथि मंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद निर्धारित की जाती है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी मांग या शीघ्रावधि मांग ऋण स्वीकृत करते समय लिखित रूप में विशिष्ट कारण दर्ज करेगा।
- (3) ब्याज दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी।
- (4) ऐसे ऋणों पर ब्याज, जैसा कि निर्धारित किया गया है, मासिक या त्रैमासिक आधार पर देय होगा।
- (5) यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है या किसी अवधि के लिए अधिस्थगन प्रदान किया गया है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी मांग या शीघ्रावधि मांग ऋण स्वीकृत करते समय लिखित रूप में विशिष्ट कारण दर्ज करेगा।
- (6) ऋण के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक निर्दिष्ट तिथि, जो मंजूरी की तारीख से शुरू होकर छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (7) ऐसे मांग या शीघ्रावधि मांग ऋणों का तब तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवधिक समीक्षा में मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन न पाया गया हो।

## **ई. आवास परियोजनाओं के लिए वित्त**

108. आवास / विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करते समय, एनबीएफसी नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में यह भी निर्धारित करेगी कि:

- (1) बिल्डर / डेवलपर / मालिक / कंपनी उस संस्था (ओं) के नाम का खुलासा पैम्फलेट / ब्रोशर / ऑन-साइट डिस्प्ले बोर्ड में करेगी, जिसके पास संपत्ति बंधक रखी गई है।
- (2) बिल्डर/डेवलपर/कंपनी समाचार पत्रों/पत्रिकाओं आदि में किसी विशेष योजना का विज्ञापन प्रकाशित करते समय बंधक से संबंधित जानकारी शामिल करेगी।
- (3) बिल्डर / डेवलपर / मालिक / कंपनी, पैम्फलेट / ब्रोशर में यह उल्लेख करेगी कि आवश्यकता पड़ने पर वे फ्लैटों/संपत्ति की बिक्री के लिए बंधक रखने वाली संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) / अनुमति प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, एनबीएफसी उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और जब तक बिल्डर / डेवलपर / मालिक / कंपनी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, तब तक धनराशि जारी नहीं की जाएगी।

## अध्याय IX – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले अन्य विनियम

### ए. भू-संपदा क्षेत्र को ऋण और अग्रिम

109. भू-संपदा से जुड़े ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए, जहां भी अपेक्षित हो, सरकार / स्थानीय सरकार / अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण ऋण स्वीकृति प्रक्रिया बाधित न हो, हालांकि प्रस्तावों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है, संवितरण केवल तभी किया जाएगा जब उधारकर्ता ने सरकार/उनके सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरीयां प्राप्त कर ली हों।

### बी. वाणिज्यिक भू-संपदा

110. वाणिज्यिक भू-संपदा (सीआरई) में कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक स्थान या गोदाम, होटल, भूमि, अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स/अन्य को दिए गए ऋण शामिल होंगे, जहां पुनर्भुगतान की संभावनाएं, या चूक की स्थिति में वसूली, मुख्य रूप से पट्टे/किराये के भुगतान, बिक्री आदि के माध्यम से आस्ति से उत्पन्न नकदी प्रवाह पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को तीसरी आवासीय इकाई और उससे आगे के लिए दिए गए ऋणों को सीआरई एक्सपोजर माना जाएगा।
111. वाणिज्यिक भू-संपदा – रिहायशी आवास (सीआरई-आरएच) में सीआरई खंड के तहत रिहायशी आवास परियोजनाओं (आबद्ध उपभोग को छोड़कर) के लिए बिल्डरों/डेवलपर्स को दिए गए ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में सामान्यतः गैर-आवासीय वाणिज्यिक भू-संपदा शामिल नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ वाणिज्यिक स्थान (जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल आदि) वाली एकीकृत आवास परियोजना को भी सीआरई-आरएच के तहत विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते रिहायशी आवास परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र, परियोजनाओं के कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि मुख्य रूप से रिहायशी आवास परिसर में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई परियोजना ऋण की उच्चतम सीमा से अधिक हो जाता है, तो संपूर्ण ऋण को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, न कि सीआरई-आरएच के रूप में।

## अध्याय X – निरसन और अन्य प्रावधान

### ए. निरसन और व्यावृत्ति

112. इन निदेशों के जारी होने के साथ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू ऋण सुविधाओं से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 की परिपत्र द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।
113. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उनके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:
- (1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता।
  - (2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा।
  - (3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

### बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

114. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

### सी. व्याख्याएँ

115. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)  
मुख्य महाप्रबंधक

## अनुबंध I

### सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाने वाला डेटा

| क्र. सं | डीएलए का नाम | डीएलए के मालिक का नाम (स्व-स्वामित्व वाला /यदि डीएलए, एलएसपी का है तो एलएसपी का नाम) | कहाँ पर उपलब्ध है (वेबसाइट/ऐप स्टोर का नाम) | डीएलए का लिंक# | शिकायत निवारण अधिकारी का नाम | शिकायत निवारण अधिकारी का ई-मेल आईडी | शिकायत निवारण अधिकारी का दूरभाष सं. | शिकायत निवारण अधिकारी का मोबाइल सं. | आरई का वेबसाइट |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|         |              |                                                                                      |                                             |                |                              |                                     |                                     |                                     |                |

\*प्रत्येक डीएलए को एक अलग लाइन आइटम के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि कोई डीएलए कई ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक प्रविष्टि को ऐप स्टोर पर डीएलए के विशिष्ट लिंक के साथ अलग से रिपोर्ट करना आवश्यक है

# यदि डीएलए एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट का लिंक प्रदान करें, या यदि डीएलए ऐप-स्टोर में से किसी एक पर होस्ट किया गया ऐप है, तो ऐप-स्टोर पर डीएलए का लिंक प्रदान करें

<sup>6</sup>[\*\*\*\*\*]

---

<sup>6</sup> 1 अप्रैल, 2026 से हटा दिया गया ।

गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों से संबंधित डेटा

|                          |          |                                         |                                                       |                     |                     |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ऋणदात्री एनबीएफसी का नाम |          |                                         |                                                       |                     |                     |
| पैन                      |          |                                         |                                                       |                     |                     |
| रिपोर्टिंग की तारीख      |          |                                         |                                                       |                     |                     |
| शेयरधारिता संबंधी सूचना  |          |                                         |                                                       |                     |                     |
| कंपनी का नाम             | आईएसआईएन | ऋण के बदले<br>धारित शेयरों<br>की संख्या | उधारकर्ता का<br>प्रकार<br>(प्रवर्तक/गैर-<br>प्रवर्तक) | उधारकर्ता का<br>नाम | उधारकर्ता का<br>पैन |
|                          |          |                                         |                                                       |                     |                     |
|                          |          |                                         |                                                       |                     |                     |